1807200/2024/PQ CELL

संसद प्रश्न और उनके उत्तर

शीतकालीन सत्र, 2023

1807200/2024/PQ CELL

शीतकालीन सत्र, 2023

क्र.सं.	लो.स./ रा.स.	दिनांक	स्वीकृत प्रश्न संख्या	अनंतिम प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ सं.
1.	लो.स.	04.12.2023	31	128	प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत निधियां	4
2.	लो.स.	04.12.2023	41	163	निःशक्तजनों हेतु रोजगार के अवसर	6
3.	लो.स.	04.12.2023	47	189	ओडिशा में महिलाओं हेतु कार्यान्वित की जा रही सामाजिक सुरक्षा योजनाएं	8
4.	लो.स.	04.12.2023	69	272	ख़राब होती सॉफ्टवेयर प्रणाली (ईपीएफओ)	10
5.	लो.स.	04.12.2023	113	499	महिलाओं के लिए भविष्य निधिमें वृद्धि	11
6.	लो.स.	04.12.2023	143	47	ईपीएफओ के अंतर्गत महिला कर्मचारी	12
7.	लो.स.	04.12.2023	156	39	ईपीएफ में उच्चतम न्यायालय का निर्णय लागू करना	14
8.	लो.स.	04.12.2023	199	225	इंडो-एशियन न्यूज़ चैनल प्राइवेट लिमिटेड	16
9.	रा.स.	07.12.2023	568	U1465	औपचारिक क्षेत्र के रोजगार	19
10.	रा.स.	07.12.2023	577	U1464	देश में भविष्य निधि खातों की संख्या	21
11.	रा.स.	07.12.2023	863	1619	महाराष्ट्र में कार्यात्मक एमएसएमई	25
12.	लो.स.	11.12.2023	1199	3125	ईपीएफओ का पे-रोल डेटा	27
13.	लो.स.	11.12.2023	1209	3181	ऋण प्रपत्र और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड	30
14.	लो.स.	11.12.2023	1379	3081	आत्मनिर्भर रोजगार योजना के अंतर्गत लाभार्थी	32
15.	रा.स.	14.12.2023	1375	U2813	औद्योगिक दुर्घटनाओं में मृत्यु होने/घायल होने के मामले में मुआवजा	40

16.	लो.स.	18.12.2023	2347	6566	पेंशन में बढ़ोतरी	41
17.	लो.स.	18.12.2023	2366	6653	आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (ABRY) के द्वारा लक्ष्य को प्राप्त करना	43
18.	लो.स.	18.12.2023	2411	6872	दिहाड़ी कामगारों के लिए योजना	47
19.	लो.स.	18.12.2023	2482	5699	सामान्य जन के लिए पेंशन में वृद्धावस्था पेंशन	49
20.	लो.स.	18.12.2023	2514 (MoF)		पीएम गरीब कल्याण योजना	50
21.	लो.स.	18.12.2023	2516	6813	न्यूनतम मजदूरी	53
22.	लो.स.	18.12.2023	2522	6421	चाय-बागान कामगारों हेतु सामाजिक सुरक्षा योजना	57
23.	रा.स.	21.12.2023	तारांकित *204	S4222	विभिन्न क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर छँटनी	59
24.	रा.स.	21.12.2023	2165	S2447, S3510	आत्मनिर्भर रोजगार योजना के तहत लाभार्थी	61
25.	रा.स.	21.12.2023	2169	S2747	मध्य प्रदेश में आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के लाभार्थी	68

1807200/2024/PQ CELL

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 31
सोमवार, 04 दिसंबर, 2023/13 अग्रहायण, 1945 (शक)

प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत निधियां

31. श्री मद्दीला गुरुमूर्ति:
श्रीमती चिंता अनुराधा:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 2016 से प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के लिए बजटीय आवंटन और जारी किये गए धन का विवरण क्या है;

(ख) इस योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश राज्य में 2016 से अब तक हुई वित्तीय प्रगति का विवरण क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान निर्धारित और प्राप्त किये गये भौतिक लक्ष्यों का विवरण क्या है; और

(घ) लक्ष्य प्राप्त न होने के कारण क्या हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (घ): प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) के तहत, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) वाले प्रतिष्ठान द्वारा जमा की गई इलेक्ट्रॉनिक चालान सह रिटर्न (ईसीआर) के आधार पर धन का वितरण किया जाता है और चालान बनने के समय प्रतिष्ठान द्वारा देय कुल राशि में कटौती के माध्यम से सब्सिडी परिलक्षित होती है। संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन है और इसलिए, राज्य-वार अलग से कोई निधि आवंटित नहीं की गई है। पूरे भारत में पीएमआरपीवाई योजना के तहत जारी और उपयोग की गई कुल धनराशि और योजना के आरंभ से लेकर योजना की समाप्ति तिथि (31.03.2022) तक आंध्र प्रदेश राज्य के संबंध में वितरित सब्सिडी का विवरण इस प्रकार है: -

वित्तीय वर्ष	अखिल भारत		आंध्र प्रदेश
	आवंटित/जारी धनराशि (करोड़ रुपये में)	वितरित सब्सिडी (करोड़ रुपये में)	वितरित सब्सिडी (करोड़ रुपये में)
2016-17	167.69	2.70	0.05
2017-18	470.25	551.28	10.89
2018-19	3493.88	4044.10	90.47
2019-20	3400	3184.11	85.33
2020-21	1255.15	1197.83	32.26
2021-22	250	296.35	9.10

स्रोतः ईपीएफओ, एमओएलई

1807200/2024/PQ CELL

इस योजना से 20 लाख लाभार्थियों को लाभ प्राप्त होने का अनुमान लगाया गया था। इस योजना के तहत अखिल भारत और आंध्र प्रदेश में लाभान्वित प्रतिष्ठानों और कर्मचारियों का विवरण इस प्रकार हैः

	लाभार्थी प्रतिष्ठानों की संख्या	**लाभार्थियों की संख्या**
अखिल भारत	152900	12169960
आंध्र प्रदेश	3397	254891

स्रोतः ईपीएफओ, एमओएलई

*****

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 41
सोमवार, 04 दिसंबर, 2023/13 अग्रहायण, 1945 (शक)

नि:शक्तजनों हेतु रोजगार के अवसर

41. श्री कार्ती पी. चिदम्बरम:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा नि:शक्तजनों (पीडब्ल्यूडी) हेतु रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;
(ख) क्या सरकार ने सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में नि:शक्तजनों के साथ होने वाले भेदभाव से निपटने की दिशा में कोई प्रगति की है;
(ग) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाया है कि अदृश्य विकलांगता वाले नि:शक्तजनों सहित इस प्रकार के सभी व्यक्तियों को उनके सक्षम समकक्षों के समान रोजगार के अवसर दिए जाएं;
(घ) क्या सरकार का ग्रामीण क्षेत्रों में नि:शक्तजनों, विशेषकर महिला नि:शक्तों हेतु पर्याप्त रोजगार अवसर प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (ड.) : दिव्यांगों (पीडब्ल्यूडी) के कौशल विकास के लिए दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (डीईपीडब्ल्यूडी), राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपी) का कार्यान्वयन करता है। एनएपी के तहत, 15 से 59 वर्ष की आयु के बीच के दिव्यांगों को आत्मनिर्भर, समाज का उत्पादक सदस्य बनाने के उद्देश्य से कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। कौशल प्रशिक्षण के दायरे को बढ़ाने और दिव्यांगों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए, डीईपीडब्ल्यूडी ने 250+ बाजार संचालित पाठ्यक्रमों में कौशल प्रशिक्षण हेतु पीएम-दक्ष-डीईपीडब्ल्यूडी पोर्टल और दिव्यांगजन रोज़गार सेतु प्लेटफ़ॉर्म लॉन्च किया है जो देश भर में निजी कंपनियों में रोजगार/कमाई के अवसर पर जियो टैग आधारित जानकारी प्रदान करता है। ।

वर्ष 2007-08 में, दिव्यांगों को रोजगार प्रदान करने के लिए निजी क्षेत्रों में नियोक्ताओं के लिए एक प्रोत्साहन योजना शुरू की गई थी। ऐसे कर्मचारियों के संबंध में और ऐसी अवधि के लिए केंद्र सरकार द्वारा नियोक्ता के अंशदान की प्रतिपूर्ति कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) को की जाती है।

दिव्यांगजन अधिकार (आरपीडब्ल्यूडी) अधिनियम, 2016 में रोजगार में भेदभाव न करने का प्रावधान है। जिसके अनुसार, "कोई भी सरकारी प्रतिष्ठान रोजगार से संबंधित किसी भी मामले में किसी भी दिव्यांग जन के साथ भेदभाव नहीं करेगा।"

आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016, प्रत्येक उपयुक्त सरकार को आदेश देता है प्रत्येक सरकारी प्रतिष्ठान में बेंचमार्क दिव्यांग जनों से भरे जाने वाले पदों के प्रत्येक समूह में होने वाली नियुक्तियां कैडर बल में रिक्तियों की कुल संख्या के चार प्रतिशत से कम नहीं होंगी।

श्रम और रोजगार मंत्रालय, देश भर में दिव्यांगों के लिए 24 राष्ट्रीय करियर सेवा केंद्रों के माध्यम से दिव्यांगों को व्यावसायिक पुनर्वास सेवाओं की सुविधा प्रदान कर रहा है। उपरोक्त उपायों का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में महिला दिव्यांगों सहित दिव्यांगों को रोजगार के अवसर प्रदान करना है।

इसके साथ-साथ, नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। तदनुसार, भारत सरकार ने दिव्यांग व्यक्तियों सहित देश में रोजगार का सृजन करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं जैसे आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई), प्रधान मंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वानिधि योजना), प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), और दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) आदि।

इसके साथ-साथ, दिव्यांग व्यक्तियों सहित युवाओं की नियोजनीयता बढ़ाने के लिए कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) द्वारा राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) और प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) का कार्यान्वयन किया जा रहा है। दिव्यांगजनों सहित देश भर के युवाओं के कौशल आधारित प्रशिक्षण के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) है।

इन प्रयासों के अतिरिक्त, मेक इन इंडिया, स्टार्ट-अप इंडिया, स्टैंड-अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, सब के लिए आवास जैसे सरकार के विभिन्न फ्लैगशीप कार्यक्रम आदि भी दिव्यांगजनों सहित रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए ही है।

*****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 47

सोमवार, 04 दिसम्बर, 2023/13 अग्रहायण, 1945 (शक)

ओडिशा में महिलाओं हेतु कार्यान्वित की जा रही सामाजिक सुरक्षा योजनाएं

47. श्री महेश साहू:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ओडिशा में महिलाओं हेतु सामाजिक सुरक्षा योजनाएं कार्यान्वित कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार इन योजनाओं के संबंध में राज्य में सामाजिक जागरूकता कार्यक्रम चला रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क): श्रम और रोजगार मंत्रालय कामगारों के हितों की संरक्षा और सुरक्षा करते हुए देश के श्रम बल के जीवन और गरिमा में सुधार सुनिश्चित करने के लिए कार्य कर रहा है।

महिला श्रम बल के कल्याण को बढ़ावा देने और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित अधिनियम/योजनाएं अधिनियमित की गई हैं और कार्यान्वित की जा रही हैं:

- मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम, 2017 द्वारा यथा संशोधित मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 में अन्य बातों के साथ-साथ, महिला कामगारों को सवैतनिक मातृत्व अवकाश और 50 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों के संबंध में शिशु-गृह (क्रेच) की सुविधा का प्रावधान है। सरकार ने सवैतनिक मातृत्व अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया है, जिसमें अपेक्षित प्रसव की तारीख पहले आठ सप्ताह से अधिक नहीं होगा।
- समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 में समान कार्य अथवा समान प्रकृति के कार्य के लिए बिना किसी भेदभाव के पुरुष और महिला कामगारों को समान पारिश्रमिक के भुगतान का प्रावधान है।

भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित योजनाएं/अधिनियम भी महिलाओं सहित श्रम बल के कल्याण को बढ़ावा देते हैं और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करते हैं:

जारी..2/-

- कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के तहत कर्मचारी राज्य बीमा योजना एक सामाजिक सुरक्षा विधान है, जिसमें बीमित व्यक्तियों और उनके परिवार के सदस्यों को बीमारी, मातृत्व, विकलांगता और रोजगार-जन्य चोट के कारण मृत्यु की आकस्मिकताओं में चिकित्सा देख-भाल और नकद लाभ प्रदान करने का प्रावधान है।
- कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 (ईपीएफ), कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 (ईपीएस) और कर्मचारी जमा संबद्ध बीमा योजना, 1976 (ईडीएलआई) के माध्यम से भी कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जा रही है।
- असंगठित कामगारों के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना (पीएम-एसवाईएम) नामक पेंशन योजना 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद 3000/- रुपये की मासिक पेंशन प्रदान करने के लिए आरंभ की गई थी।
- भारत सरकार की अन्य योजनाएं जैसे- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना, महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना, दीन दयाल अंत्योदय योजना, पीएम-स्वनिधि, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना आदि योजनाएं भी असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए उपलब्ध हैं।

(ख) और (ग): विभिन्न सेवाओं के बारे में पणधारकों तक पहुंच बढ़ाने के लिए वेबिनार और विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से बातचीत की जा रही है।

इसके अलावा, राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने भी वर्ष 2022-23 के दौरान ओडिशा की महिलाओं के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम शुरू किए हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:

- विश्वविद्यालयों/कॉलेजों के सहयोग से उनकी यूजी/पीजी महिला छात्रों के लिए क्षमता निर्माण और व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम। कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को स्वतंत्र और रोजगार के लिए तैयार करना है। रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए सहज, तार्किक और महत्वपूर्ण सोच, संचार और पारस्परिक कौशल के उपयोग पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।
- पोषण माह का आयोजन: महिलाओं के बीच पोषण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय पोषण नीति और अन्य योजनाओं के बारे में जानकारी का प्रसार करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए जागरूकता गतिविधियों का सृजन करना।

इसके अलावा, ओडिशा राज्य में निम्नलिखित विषयों पर विभिन्न सेमिनार आयोजित किए गए हैं:

- एकल महिलाओं के अधिकार
- ओडिशा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं का आर्थिक विकास
- डायनपन के शिकार से महिलाओं का संरक्षण

*****

1807200/2024/PQ CELL

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 69

सोमवार, 04 दिसम्बर, 2023/13 अग्रहायण, 1945 (शक)

खराब होती सॉफ्टवेयर प्रणाली (ईपीएफओ)

69. श्री वी.के. श्रीकंदन:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की पुरानी पड़ी और खराब हो रही सॉफ्टवेयर प्रणालियों को सुधारने और पुराने सर्वर जो संभवतः जनवरी 2024 तक काम करना बंद कर देंगे, को बदलने को अंतिम रूप देने में असमर्थ है;

(ख) क्या कर्मचारी भविष्य निधि ने इसके पुनर्स्थापन के संबंध में ध्यान में लाया है;

(ग) क्या यह उपर्युक्त में और विलंब से 21 लाख करोड़ रुपए के भारी-भरकम कायिक निधि वाले 25 करोड़ कर्मचारी भविष्य निधि खातों पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (घ): कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने अपने सॉफ्टवेयर के साथ-साथ हार्डवेयर में भी सुधार लाने के लिए कदम उठाए हैं। इसके लिए सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) बजट भी वर्ष 2019-20 में 48.67 करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 283.3 करोड़ रुपए (बजट आवंटित) हो गया है। सर्वर सहित सभी हार्डवेयर रखरखाव के अधीन हैं।

इन्फ्रा-डेटाबेस लाइसेंस, कम्प्यूट (सर्वर) और स्टोरेज में हाल ही में वृद्धि की गई है। स्टोरेज संवर्धन नीति लागू कर दी गई है। 477 टेराबाइट का स्टोरेज एरिया नेटवर्क (एसएएन) स्टोरेज सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) के माध्यम से खरीदा गया है और इसे डेटा सेंटर, वैकल्पिक डेटा सेंटर और राष्ट्रीय डेटा सेंटर में स्थापित किया गया है।

आईटी हस्तक्षेपों और संवर्द्धनों के साथ नियमित निगरानी के परिणामस्वरूप सदस्यों को दक्षता और अंतिम प्रदायगी में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है, जैसा कि निम्नलिखित द्वारा प्रदर्शित किया गया है:

(i) वर्ष 2021-22 में समय पर दावा निपटान 96.43% से बढ़कर वर्ष 2022-23 में 98.92% हो गया है।

(ii) शिकायत निवारण समय/अवधि को आधा कर 06 दिन कर दिया गया है।

(iii) दिनांक 01.04.2023 से दिनांक 31.10.2023 तक क्षेत्रीय कार्यालय आवेदनों में लेनदेन की मात्रा, जिसमें 1,07,277 करोड़ रुपए की राशि के 261.47 लाख दावों को संसाधित किया गया है, जो परिचालन दक्षता को दर्शाता है।

(iv) वर्ष 2022-2023 में 588 लाख दावों का निपटान किया गया है, जो वर्ष 2019 में निपटाए गए दावों की तुलना में 95% अधिक है।

*****

1807200/2024/PQ CELL

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 113

सोमवार, 4 दिसंबर, 2023 / 13 अग्रहायण, 1945 (शक)

महिलाओं के लिए भविष्य निधि में वृद्धि

113. श्री संजय भाटिया:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विशेष रूप से महिलाओं के लिए भविष्य निधि के लिए कोई योजना तैयार करने का प्रस्ताव है; और

(ख) क्या सरकार का महिलाओं के बीच रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 50 प्रतिशत भविष्य निधि बढ़ाने हेतु कोई योजना बनाने का विचार है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क) और (ख): कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 उन सभी पात्र कामगारों चाहे वो किसी भी लिंग से संबंधित हो, पर लागू होती है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 अधिनियमित किया है, जिसमें कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 सहित 9 केन्द्रीय श्रम कानून समाहित हैं। उक्त संहिता की धारा 16 के अंतर्गत यह उपबंध करता है कि केन्द्र सरकार अधिसूचना द्वारा कर्मचारी के किसी भी वर्ग के लिए विनिर्दिष्ट अवधि के लिए कर्मचारियों के अंशदान की अलग-अलग दरें निर्धारित कर सके। हालांकि, उक्त संहिता अभी तक लागू नहीं हुई है।

******

1807200/2024/PQ CELL

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 143

सोमवार, 04 दिसम्बर, 2023/13 अग्रहायण, 1945 (शक)

ईपीएफओ के अन्तर्गत महिला कर्मचारी

143. डॉ. कृष्णपालसिंह यादव:
प्रो. रीता बहुगुणा जोशी:
डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे:
डॉ. सुजय विखे पाटील:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले पांच वर्षों के दौरान देश में महिलाओं के लिए औपचारिक रोजगार अवसर पर्याप्त रूप से बढ़ रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) श्रमबल में अधिक लैंगिक समानता और समावेशिता को प्रोत्साहित करने के लिए मंत्रालय द्वारा किए गए विशिष्ट उपायों का ब्यौरा क्या है और कौन-सी नीतियां लागू की गई हैं:

(ग) क्या सरकार महिलाओं की भागीदारी पर असंगठित श्रमिकों को समर्पित ई-श्रम पोर्टल के प्रभाव के बारे में जानकारी प्रदान करेगी;

(घ) असंगठित क्षेत्र में महिलाओं के लिए पंजीकरण और सामाजिक सुरक्षा कवरेज बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं; और

(ङ) क्या ईपीएफओ सदस्यता में हो रही कुल वृद्धि महिलाओं के लिए रोजगार बाजार की औपचारिकता और संगठित और अर्ध-संगठित क्षेत्र के कार्यबल हेतु सामाजिक सुरक्षा लाभों के विस्तार के संकेतक के रूप में देखे जाने योग्य है और यदि हां, तो ततत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क): कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा प्रत्येक माह पे-रोल डेटा प्रकाशित किया जाता है जिसके माध्यम से निवल पे-रोल निर्धारित करने के लिए आधार प्रमाणिक सार्वभौमिक खाता संख्या (यूएएन) के माध्यम से पहली बार कर्मचारी भविष्य निधि में अभिदाताओं के रूप में शामिल किए जाने वाले और मौजूदा अभिदाता जो पहले बाहर हुए फिर बाद में शामिल किए गए उनकी संबंधित जानकारी प्रदान की जाती है। प्रकाशित आंकड़े देश भर में ईपीएफओ में किए गए निवल नए नामांकनों को आयु-स्लैब-वार, उद्योग-वार, राज्य-वार और लिंग-वार उपलब्ध कराते हैं। सितंबर, 2017 से महिला अभिदाताओं के ईपीएफओ निवल पेरोल जोड़ का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

वित्तीय वर्ष	निवल पेरोल जोड़ (महिला अभिदाता)
2017-18 (सितंबर, 2017 से)	2,32,785
2018-19	13,05,172
2019-20	15,93,614
2020-21	13,98,080
2021-22	26,18,728
2022-23	28,69,688

नोट: ईपीएफओ द्वारा प्रकाशित निवल पेरोल आँकड़े अनंतिम है क्योंकि कर्मचारियों के रिकॉर्ड का अद्यतन एक सतत प्रक्रिया है और आगामी महीने(महीनों) में अद्यतन होता रहता है।

जारी..2/-

(ख): समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 में समान कार्य अथवा समान प्रकृति के कार्य के लिए बिना किसी भेदभाव के पुरुष और महिला कामगारों को समान पारिश्रमिक के भुगतान का प्रावधान है। समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 को वेतन संहिता, 2019 में समाहित कर लिया गया है, जिसमें यह भी प्रावधान है कि किसी कर्मचारी द्वारा किए गए समान कार्य या समान प्रकृति के कार्य के संबंध में उसी नियोक्ता द्वारा मजदूरी से संबंधित मामलों में लिंग के आधार पर कर्मचारियों के बीच किसी प्रतिष्ठान या उसकी किसी इकाई में कोई भेदभाव नहीं होगा। हालांकि, मजदूरी संहिता, 2019 अभी तक लागू नहीं हुई है।

प्रसूति प्रसुविधा (संशोधन) अधिनियम, 2017 के तहत, निम्नलिखित प्रावधान / लाभ उपलब्ध हैं: -

- सवैतनिक प्रसूति अवकाश/लाभ को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया गया है।
- यदि प्रतिष्ठान में 50 या उससे अधिक कर्मचारी कार्य कर रहे हैं तो क्रेच की सुविधा अनिवार्य है।
- यदि नियोक्ता द्वारा प्रसव पूर्व घर रहने पर और प्रसवोत्तर देखभाल नि: शुल्क प्रदान नहीं की जाती है तो 3500/- रु. का चिकित्सा बोनस दिया जाएगा।
- गर्भावस्था के दौरान निर्दिष्ट अवधि के लिए हल्के काम के प्रावधान को लागू करना।
- गर्भावस्था के कारण अनुपस्थिति के दौरान बर्खास्तगी से प्रतिरक्षा और प्रसूति प्रसुविधा की हकदार महिला की मजदूरी में कोई कटौती नहीं होगी।
- यदि नियोक्ता और कर्मचारी सहमत हैं, तो मातृत्व अवकाश के अतिरिक्त, घर से काम करने की सुविधा के लिए प्रावधान लागू करना।

प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 को सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में समाहित कर दिया गया है, जो अभी लागू नहीं हुआ है।

व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाएं (ओएसएच), 2020 संहिता में महिलाओं के रोजगार के संबंध में विशेष अनुबंध है। इसके अनुसार सुरक्षा, छुट्टियों और कार्य घंटों से संबंधित शर्तों या समुचित सरकार द्वारा यथानिर्धारित नियोक्ता द्वारा पालन की जाने वाली किसी भी अन्य शर्तों के अध्यधीन महिलाएं सभी प्रकार के कार्यों के लिए अपनी सहमति से सुबह 6 बजे से पहले और शाम 7 बजे के बाद नियोजित होने की हकदार होंगी। हालांकि, ओएसएच संहिता, 2020 अभी तक लागू नहीं हुई है।

इसके अलावा, महिला कामगारों की नियोजनीयता को बढ़ाने के लिए, सरकार उन्हें महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों और क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों के नेटवर्क के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान कर रही है।

(ग) और (घ): श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 26 अगस्त, 2021 को ई-श्रम पोर्टल (eshram.gov.in) का शुभारंभ किया ताकि असंगठित कामगारों का एक व्यापक राष्ट्रीय डाटाबेस तैयार किया जा सके और आधार से सम्बद्ध किया जा सके। ई-श्रम पोर्टल असंगठित कामगारों को एक सार्वभौमिक खाता संख्या (यूएएन) प्रदान करके उन्हें पंजीकृत करने और सहायता प्रदान करने के निमित्त है। ई-श्रम पोर्टल पर कामगारों का ब्यौरा जैसे नाम, पता, व्यवसाय, शैक्षिक अर्हता, कौशल के प्रकार आदि को दर्शाया जाता है। दिनांक 27 नवंबर 2023 तक, 29.19 करोड़ से अधिक असंगठित कामगारों ने 30 व्यापक व्यवसाय क्षेत्रों और लगभग 400 व्यवसायों के तहत ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण कराया है। ई-श्रम पर कुल पंजीकरण में से लगभग 15.45 करोड़ पंजीकरणकर्ता अर्थात 52.92% महिलाएं हैं।

(ङ): कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 उन कारखानों और प्रतिष्ठानों पर लागू होता है जो 197 श्रेणी के प्रतिष्ठानों/उद्योगों की अनुसूची में से किसी में भी 20 या उससे अधिक व्यक्तियों को नियोजित करते हैं और केवल 15,000/- रु. तक मासिक ईपीएफ वेतन वाले कर्मचारियों को सांविधिक रूप से सदस्यों के रूप में नामांकित किया जाना अपेक्षित है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के मासिक निवल पेरोल आंकड़े अर्थव्यवस्था के संगठित/औपचारिक क्षेत्रों में रोजगार और रोजगार सृजन के पैटर्न और रुझानों को दर्शाते हैं।

****

1807200/2024/PQ CELL

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 156

सोमवार, 04 दिसम्बर, 2023/13 अग्रहायण, 1945 (शक)

ईपीएफ में उच्चतम न्यायालय का निर्णय लागू करना

156. एडवोकेट ए.एम. आरिफ़:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि पेंशन मामले में 4 नवम्बर, 2022 को उच्चतम न्यायालय के निर्णय को लागू करने के लिए कोई कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार अभिदाताओं को वेतन के अनुपात में कर्मचारी भविष्य निधि पेंशन के भुगतान के लिए अपेक्षित राशि की गणना की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कर्मचारी भविष्य निधि पेंशन निधि में भारी धनराशि बची हुई है जिनका कोई दावेदार/कानूनी उत्तराधिकारी नहीं है और यदि हां, तो आज की तिथि के अनुसार पेंशन निधि में उक्त शेष राशि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार का विचार वेतन के अनुपात में पेंशन के भुगतान के लिए उक्त शेष राशि का उपयोग करने पर विचार करने का है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क): माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 04.11.2022 के निर्णय के पैरा 44(v) और 44(vi) के साथ पठित पैरा 44(ix) में निहित निर्देशों के अनुसार, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा दिनांक 29.12.2022 को पेंशनरों जो 01.09.2014 से पहले सेवानिवृत्त हुए थे और जिन्होंने अपनी सेवानिवृत्ति से पहले वेतन सीमा से अधिक वेतन पर पेंशन निधि में अंशदान के लिए संयुक्त विकल्प का प्रयोग किया था, उनसे ऑनलाइन आवेदन मांगा गया परन्तु उनके संयुक्त विकल्प ईपीएफओ (कट-ऑफ तिथि के कारण) द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। संयुक्त विकल्प दिनांक 03.03.2023 को या उससे पहले दाखिल किए जाने थे। ऑनलाइन संयुक्त विकल्प दाखिल करने की तिथि को दिनांक 03.05.2023 तक बढ़ा दी गई थी तत्पश्चात दिनांक 26.06.2023 तक और उसके बाद दिनांक 11.07.2023 तक बढ़ा दी गई थी।

माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 04.11.2022 के निर्णय के पैरा 44(iii) और पैरा 44(iv) के साथ पठित पैरा 44(v) में निहित निर्देशों के अनुसार, ईपीएफओ द्वारा दिनांक 20.02.2023 को ऐसे कर्मचारियों के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं जिनके द्वारा ऑनलाइन संयुक्त विकल्प दाखिल किए जाने चाहिए थे, तथा वे दिनांक 01.09.2014 से पहले सेवा में थे और दिनांक 01.09.2014 को या उसके बाद सेवा में बने रहे, परंतु वे कर्मचारी पेंशन योजना के पैरा 11(3) के पूर्ववर्ती परंतुक के तहत (ईपीएस), 1995 के संयुक्त विकल्प का प्रयोग नहीं कर सके। संयुक्त विकल्प दिनांक 03.05.2023 तक या उससे पहले दाखिल किए जा सकते थे। जिस तारीख तक संयुक्त विकल्प भरे जाने थे, उसे दिनांक 26.06.2023 तक और उसके बाद दिनांक 11.07.2023 तक बढ़ा दिया गया था।

जारी...2/

निर्णय के पैरा 44(vii) में निहित निर्देशों को कार्यान्वित करने के लिए, सरकार ने दिनांक 3 मई, 2023 को दो अधिसूचनाएं जारी की हैं अर्थात एसओ 2060 (अ) और एसओ 2061 (अ) दिनांक 3 मई, 2023।

(ख): उच्चतर वेतन पर पेंशन के लिए पात्र पाए गए पेंशनभोगियों/सदस्यों के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 04.11.2022 के निर्णय के अनुपालन में पेंशनभोगियों/सदस्यों को मांग नोटिस जारी किए जा रहे हैं। उच्च वेतन पर देय पेंशन की राशि मामला दर मामला पृथक होगी।

(ग) और (घ): ईपीएस, 1995 के तहत पेंशन निधि एक जमा निधि है। पेंशन निधि में, व्यक्तिगत खातों का रखरखाव नहीं किया जाता है। ईपीएस, 1995 के सदस्य सेवा के वर्षों की संख्या पर निर्भर उनकी पात्रता के आधार पर निकासी लाभ या पेंशन के लिए पात्र हैं। दिनांक 31.03.2019 तक निधि के बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार, पेंशन निधि घाटे में है।

****

1807200/2024/PQ CELL

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 199

सोमवार, 4 दिसंबर, 2023 / 13 अग्रहायण, 1945 (शक)

इंडो-एशियन न्यूज चैनल प्राइवेट लिमिटेड

199. श्री के. सुधाकरन:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मैसर्स इंडो-एशियन न्यूज चैनल प्राइवेट लिमिटेड (सीआईएन:यू92130केएल201ओपीटीसी026426, पंजीकरण संख्या 26426) पर अपने कर्मचारियों का वेतन, भविष्य निधि आदि के रूप में देय राशि बकाया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध (ईपीएफ और एमपी) अधिनियम, 1952 के विभिन्न उपबंधों के अंतर्गत कंपनी के विरुद्ध कोई जांच की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या बकाया देय राशि के भुगतान की वसूली के लिए कंपनी और प्रबंध निदेशक के विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार को कंपनी के शेयरधारिता पैटर्न और निदेशक मंडल में परिवर्तन की जानकारी है; और

(च) यदि हां, तो क्या सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम के अंतर्गत लंबित देय राशियों का भुगतान करने से पहले निदेशक मंडल में परिवर्तन की अनुमति दी थी?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (ग): कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध (ईपीएफ और एमपी) अधिनियम, 1952 की धारा 7क, 14ख और 7थ के तहत समय-समय पर जांच की गई है। इसका ब्यौरा निम्नानुसार है :-

जारी...पृष्ठ 2/-

क्र.सं.	पूछताछ	अवधि	कुल धनराशि	स्थिति
1	7क	02/2011 to 07/2012	27,48,441/-रुपए	पूरी तरह से प्रेषित
2	7क	08/2012 to 06/2013	29,36,988/-रुपए	आरआरसी जारी
3	7क	07/2013 to 03/2014	13,58,461/- रुपए	आरआरसी जारी
4	7क	04/2014 to 08/2014	9,10,051/- रुपए	आरआरसी जारी
5	7क	09/2014 to 03/2015	12,37,463/- रुपए	आरआरसी जारी
6	7क	04/2015 to 01/2018	96,80,851/- रुपए	आरआरसी जारी
7	7क	02/2018 to 10/2019	23,18,456/- रुपए	आरआरसी जारी
आरआरसी: राजस्व वसूली प्रमाण पत्र				

क्र.सं.	पूछताछ	अवधि	14ख (रुपए में)	7थ (रुपए में)	कुल (रुपए में)	टिप्पणी
1	14ख	02/2011 to 02/2013	10,41,403/-	5,07,161/-	15,48,564/-	आरआरसी जारी
2	14ख	02/2013 to 07/2013	10,53,156/-	5,05,515/-	15,58,671/-	आरआरसी जारी
3	14ख	08/2012 to 01/2018	34,70,541/-	16,73,185/-	51,43,726/-	आरआरसी जारी

11/2019 के अनुपालन के लिए ईपीएफओ द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था लेकिन नियोक्ता से कोई जवाब नहीं मिला है। दिनांक 16.08.2023 को ईपीएफओ द्वारा नियोक्ता को अभियोजन नोटिस भी जारी किया गया था, जिसे स्वीकार कर लिया गया है लेकिन उससे संबंधित कोई जवाब नहीं मिला है। ईपीएफ और एमपी अधिनियम, 1952 की धारा 14ख के तहत क्षति और धारा 7थ के अंतर्गत ब्याज के आकलन द्वारा बकाया राशि की वसूली 7क और प्रेषण के आधार पर की जाएगी।

कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 की धारा 7क, धारा 14ख के तहत दंड क्षति और कर्मचारी भविष्य निधि और एमपी अधिनियम, 1952 की धारा 7थ के तहत आंकलित भविष्य निधि बकायों के रूप में 1,36,45,154 रुपये की राशि प्रतिष्ठान से बकाया मांग के रूप में वसूल की जा सकती है।

जारी...पृष्ठ 3/-

(घ): ईपीएफ और एमपी अधिनियम, 1952 की धारा 8 (ख) से 8 (छ) में प्रदान की गई बकाया राशि की वसूली के लिए प्रतिष्ठान और नियोक्ता के खिलाफ वसूली कार्रवाई पहले ही शुरू कर दी गई है, जिसमें प्रमाणपत्र कार्यवाही (सीपी)-1 डिफॉल्टर को डिमांड, सीपी-3 बैंक को निषेधात्मक आदेश और सीपी-25 कारण बताओ नोटिस कार्रवाई हेतु जारी करना शामिल है। यह बताने के लिए कि प्रबंध निदेशक, श्री एन.वी. निकेश कुमार को गिरफ्तारी का वारंट क्यों नहीं जारी किया जाना चाहिए।

इसके अतिरिक्त, प्रतिष्ठान ने 08/2012 से 01/2018 की अवधि के लिए आवंटित दंडात्मक क्षति (14ख) और ब्याज (7थ) की वसूली के लिए दिनांक 01.08.2023 को जारी सीपी-। में मांग नोटिस के खिलाफ रिट याचिका सं. 28653/2023 फाइल की है, इसकी राशि 50,39,141/- रु. है- और केरल उच्च न्यायालय ने दिनांक 08.09.2023 के निर्णय के माध्यम से दिनांक 25.10.2023 से शुरू होने वाले 7थ ब्याज बकाया का भुगतान 15 किस्तों में करने के लिए कहा हैं और नियोक्ता ने आंशिक रूप से अदालत के निर्देश का अनुपालन किया है।

(ङ) और (च): कंपनी ने अपने बोर्ड में दो निदेशकों की नियुक्ति और कंपनी के शेयरधारिता पैटर्न में परिवर्तन के लिए अनुमति प्रदान करने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय में आवेदन किया है। आज की तारीख तक, सरकार ने परिवर्तन की कोई अनुमति नहीं दी है।

******

1807200/2024/PQ CELL

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 568
गुरूवार, 07 दिसंबर, 2023/16 अग्रहायण, 1945 (शक)

औपचारिक क्षेत्र के रोजगार

568 श्री मोहम्मद नदीमुल हकः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार हर साल 2 करोड़ नौकरियां सृजित करने के अपने लक्ष्य को हासिल करने में सफल रही है;

(ख) वित्त वर्ष 2018-19 से वित्त वर्ष 2022-23 तक सृजित औपचारिक नौकरियों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि 2021-22 के लिए औपचारिक क्षेत्र का रोजगार 2019-20 की तुलना में 5.8 प्रतिशत कम था, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या यह सच है की वर्ष 2019-20 और 2021-22 के बीच औपचारिक नियोक्ताओं की संख्या में भी 10.5 प्रतिशत की गिरावट आई है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (घ): सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा वर्ष 2017-18 से करवाए जा रहे आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) से रोजगार और बेरोजगारी के आंकड़े एकत्र किए जाते हैं। इस सर्वेक्षण की अवधि, जुलाई से अगले वर्ष जून तक होती है।

नवीनतम वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्टों में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2018-19 से वर्ष 2022-23 के दौरान सामान्य स्थिति के आधार पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों का अनुमानित कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) निम्नानुसार है:

वर्ष	**कामगार जनसंख्या अनुपात (% में)**
2018-19	47.3
2019-20	50.9
2020-21	52.6
2021-22	52.9
2022-23	56.0

स्रोत: पीएलएफएस, एमओएसपीआई

यह आंकड़े दर्शाते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में रोजगार को दर्शाने वाले कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) में वृद्धि की प्रवृत्ति है।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के आंकडें, औपचारिक क्षेत्र के मध्यम और बड़े प्रतिष्ठानों में कामगारों को कवर करते हैं। ईपीएफओ सितंबर, 2017 से अपने मासिक पेरोल आंकडें प्रकाशित कर रहा है जो औपचारिक क्षेत्र में रोजगार के स्तर का अंदाजा देते हैं। वर्ष 2018-19 से वर्ष 2022-23 के दौरान ईपीएफ ग्राहकों में शुद्ध वृद्धि इस प्रकार है:

वर्ष	**शुद्ध वेतन वृद्धि (संख्या में)**
2018-19	61,12,223
2019-20	78,58,394
2020-21	77,08,375
2021-22	1,22,34,625
2022-23	1,38,51,689

स्रोत: ईपीएफओ पे-रोल आंकड़ें

ईपीएफ ग्राहकों में शुद्ध वृद्धि वर्ष 2019-20 में 78.58 लाख की तुलना में वर्ष 2021-22 के दौरान बढ़कर, 1.22 करोड़ हो गई है, इसमें 55.7% की वृद्धि दर्ज की गई है।

वर्ष 2021-22 के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) में योगदान करने वाले सदस्यों का औसत 4.63 करोड़ था जो वर्ष 2022-23 में बढ़कर 6.85 करोड़ हो गया है। इसके अलावा, वर्ष 2021-22 के दौरान योगदान देने वाले प्रतिष्ठानों की औसत संख्या 5.91 लाख थी जो वर्ष 2022-23 में बढ़कर 7.19 लाख हो गई है।

*****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 577

गुरूवार, 7 दिसम्बर, 2023 / 16 अग्रहायण, 1945 (शक)

देश में भविष्य निधि खातों की संख्या

577. श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2018 से अब तक देश में भविष्य निधि खातों की संख्या का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 2018 से अब तक देश में बंद/निष्क्रिय भविष्य निधि खातों की संख्या का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ने भविष्य निधि निकासी को सुगम बनाने के लिए क्या कदम उठाए हैं; और

(घ) तत्संबंधी पूर्ण ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क): वर्ष 2018 से देश में भविष्य निधि (पीएफ) खातों की संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और वर्ष-वार ब्यौरा अनुबंध-I में दिया गया है।

(ख): वर्ष 2018 से देश में बंद किए गए भविष्य निधि खातों की संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और वर्ष-वार ब्यौरा अनुबंध-II में दिया गया है।

(ग) और (घ): कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि के अंतर्गत लंबित दावों के शीघ्र निपटान के लिए उठाए जा रहे कदम निम्नानुसार हैं:-

(i) रोजगार परिवर्तन के मामले में पिछले पीएफ खातों के समेकन और सुवाह्यता के लिए पीएफ के सदस्यों को यूनिवर्सल खाता संख्या (यूएएन) का आवंटन।

(ii) मल्टीपल क्लेम फॉर्म की जगह एक सिंगल पेज कम्पोजिट क्लेम फॉर्म पेश किया गया है।

(iii) इससे संबंधित सदस्य को अब चिकित्सा प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है और निकासी का लाभ उठाने के लिए केवल स्व-प्रमाणन कर सकता है। दावा प्रपत्रों पर राजस्व स्टाम्प लगाने की व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया गया है।

(iv) अभिदाताओं को राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण प्रणाली (एनईएफटी) के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से संपूर्ण भुगतान किया जाता है।

(v) ऑनलाइन मोड के माध्यम से दावा फॉर्म जमा करने की सुविधा उन ग्राहकों के लिए शुरू की गई है, जिन्होंने यूनिवर्सल खाता संख्या को अपने केवाईसी के साथ जोड़ा है।

(vi) ऑटो क्लेम सेटलमेंट और मल्टी-लोकेशन क्लेम सेटलमेंट सुविधा शुरू की गई है ताकि दावा निपटान प्रक्रिया को और तेज किया जा सके और सदस्यों के लिए इसे परेशानी मुक्त बनाया जा सके।

(vii) कर्मचारियों के लिए ईपीएफओ की सेवाओं को एकीकृत किया गया है और यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू-एज गवर्नेंस (उमंग) एप्लिकेशन के माध्यम से पेश किया जाता है, जो एक सदस्य को अपनी पासबुक देखने, अपने दावे की स्थिति को जानने, ऑनलाइन दावा प्रपत्र जमा करने और यूनिवर्सल खाता संख्या को आधार से जोड़ने में समर्थ बनाता है। साथ ही, पेंशनभोगी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र (जीवन प्रमाण पत्र) जमा कर सकते हैं।

**

*****

अनुबंध-I

'देश में भविष्य निधि खातों की संख्या' के संबंध में माननीय सांसद श्री दीपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा दिनांक 07.12.2023 को पूछे गए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 577 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

देश में भविष्य निधि (पीएफ) खातों की संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा						
क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**वर्ष 2018-19**	**वर्ष 2019-20**	**वर्ष 2020-21**	**वर्ष 2021-22**	**वर्ष 2022-23**
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	46,161	50,448	52,791	56,401	59,911
2	आंध्र प्रदेश	4,485,974	4,931,414	5,239,997	5,634,422	6,073,690
3	असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड	974,538	1,084,133	1,141,058	1,220,220	1,321,984
4	बिहार	1,575,358	1,748,342	2,224,195	2,392,240	2,656,627
5	छत्तीसगढ	1,937,173	2,121,545	2,229,247	2,404,198	2,612,068
6	दिल्ली	18,212,935	19,307,794	19,908,340	21,134,192	22,682,286
7	गोवा	1,481,639	1,578,775	1,638,652	1,717,275	1,816,731
8	गुजरात	18,122,967	19,301,991	20,228,910	21,671,262	23,185,875
9	हरियाणा	16,941,807	18,264,249	19,164,075	20,507,922	22,234,962
10	हिमाचल प्रदेश	1,636,872	1,779,624	1,890,796	2,031,436	2,161,757
11	जम्मू और कश्मीर	0	129,911	263,735	516,648	582,549
12	झारखंड	2,342,449	2,551,530	2,659,006	2,819,359	3,006,642
13	कर्नाटक	26,600,684	28,997,693	30,270,006	32,733,118	35,195,311
14	केरल और लक्षद्वीप	3,324,898	3,688,738	3,758,835	3,932,325	4,171,369
15	लद्दाख	0	477	2,760	3,942	5,053
16	मध्य प्रदेश	5,249,202	5,642,373	5,904,928	6,263,786	6,753,451
17	महाराष्ट्र	45,971,477	50,107,496	52,150,254	56,235,698	61,016,294
18	मेघालय और मिजोरम	128,791	140,020	143,986	142,898	150,346
19	ओडिशा	3,336,925	3,587,190	3,736,094	3,968,289	4,276,322
20	पंजाब और चंडीगढ़	6,996,008	7,246,055	7,482,970	7,846,634	8,254,097
21	राजस्थान	6,000,531	6,440,615	6,815,577	7,426,982	8,094,183
22	तमिलनाडु और पुडुचेरी	27,555,984	29,498,766	30,634,358	32607994	34,997,272
23	तेलंगाना	12,565,631	13,540,758	14,137,217	15,233,802	16,581,285
24	त्रिपुरा	99,590	108,638	112,094	116,556	120,827
25	उत्तार प्रदेश	10,308,140	11,404,187	12,070,424	13,059,588	14,173,691
26	उत्तराखंड	3,409,029	3,681,894	3,877,217	4,108,315	4,391,526
27	पश्चिम बंगाल और सिक्किम	9,888,830	10,729,703	11,048,836	11,585,683	12,258,003
कुल		229,193,593	247,664,359	258,786,358	277,371,185	298,834,112

अनुबंध -II

'देश में भविष्य निधि खातों की संख्या' के संबंध में माननीय सांसद श्री दीपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा दिनांक 07.12.2023 को पूछे गए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 577 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

देश में बंद किए गए पीएफ खातों की संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा						
क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**वर्ष 2018-19**	**वर्ष 2019-20**	**वर्ष 2020-21**	**वर्ष 2021-22**	**वर्ष 2022-23**
1	आंध्र प्रदेश	120,446	120,158	136,759	129,302	102,287
2	कर्नाटक और गोवा	675,493	608,331	751,745	629,664	551,442
3	बिहार और झारखंड	89,769	80,205	103,892	102,599	86,639
4	तमिलनाडु और पुडुचेरी	696,886	619,003	640,174	596,780	491,700
5	दिल्ली और उत्तराखंड	523,845	500,622	539,466	446,073	389,467
6	गुजरात	437,234	428,748	473,200	447,704	412,306
7	हरियाणा	427,701	379,201	427,321	378,230	334,730
8	जम्मू कश्मीर और लद्दाख	0	0	790	27,305	36,898
9	केरल और लक्षद्वीप	153,779	123,495	125,587	123,638	120,335
10	मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़	203,863	187,057	216,564	194,886	159,237
11	महाराष्ट्र	1,056,374	899,705	1,045,588	971,265	816,346
12	उत्तर-पूर्वी राज्य	39,172	34,943	32,391	40,587	34,245
13	ओडिशा	96,251	63,536	71,818	81,327	64,090
14	पंजाब और हिमाचल प्रदेश	254,599	245,783	241,971	229,573	210,731
15	राजस्थान	158,245	147,915	161,190	143,945	130,705
16	तेलंगाना	276,532	235,786	269,213	250,416	210,154
17	उतार प्रदेश	320,649	282,143	298,671	298,764	267,619
18	पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और सिक्किम	230,756	187,737	219,489	269,157	247,308
कुल		5,761,594	5,144,368	5,755,829	5,361,215	4,666,239

*****

1807200/2024/PQ CELL

भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 863

उत्तर देने की तारीख : 07.12.2023

महाराष्ट्र में कार्यरत एमएसएमई

863. श्री राजन बाबूराव विचारे :

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में जिला-वार कितने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) कार्यरत हैं;

(ख) मुद्रा योजना शुरू किए जाने के बाद महाराष्ट्र के ठाणे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में स्थापित उद्यमों की संख्या और ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रधान मंत्री आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र के ठाणे जिले में ऐसे उद्यमों को संवितरित ऋण का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा)

(क) दिनांक 04.12.2023 को उद्यम पंजीकरण पोर्टल पर इसके आरंभ की तिथि (01.07.2020) से दिनांक 04.12.2023 तक, महाराष्ट्र राज्य में कुल पंजीकृत एमएसएमई की संख्या 36,69,345 है। जिला-वार विवरण अनुबंध-I में दिया गया है।

(ख) महाराष्ट्र के ठाणे जिले में दिनांक 08.04.2015 से 24.11.2023 तक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के तहत ऋण खातों की संख्या और जारी की गई राशि निम्नलिखित है:-

जिला	ऋण खातों की संख्या (करोड़ में)	संस्वीकृत राशि (रुपए लाख करोड़ में)
ठाणे*	0.09	0.09

*दिनांक 01.04.2016 से जिला-वार डाटा उपलब्ध है।

(ग) दिनांक 04.12.2023 को महाराष्ट्र राज्य के ठाणे जिले में आात्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) के तहत स्थापनाओं को वितरित की गई राशि 261.11 करोड़ है।

****

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 863, जिसका उत्तर दिनांक 07.12.2023 को दिया जाना है के भाग (क) के उत्तर में सदर्भित अनुबंध

'उद्यम पंजीकरण पोर्टल' की शुरुआत (दिनांक 01.07.2020) से दिनांक 04.12.2023 तक महाराष्ट्र में कुल पंजीकृत एमएसएमई की जिलेवार कुल संख्या

क्र.सं.	जिला	सूक्ष्म	लघु	मध्यम	कुल
1	अहमदनगर	132,707	2,182	143	135,032
2	अकोला	38,172	784	82	39,038
3	अमरावती	55,248	947	64	56,259
4	औरंगाबाद	149,029	2,381	261	151,671
5	बीड	50,045	667	51	50,763
6	भंडारा	23,027	246	13	23,286
7	बुलढाना	46,903	703	56	47,662
8	चंद्रपुर	33,740	649	64	34,453
9	धुले	32,353	660	60	33,073
10	गडचिरोली	12,422	191	7	12,620
11	गोंदिया	24,191	540	26	24,757
12	हिंगोली	17,368	292	17	17,677
13	जलगांव	83,828	1,612	102	85,542
14	जलना	48,349	639	85	49,073
15	कोल्हापुर	147,356	3,173	297	150,826
16	लातूर	51,401	869	101	52,371
17	मुंबई	232,620	15,045	2,754	250,419
18	मुंबई उपनगर	277,189	9,734	1,466	288,389
19	नागपुर	157,865	4,407	518	162,790
20	नांदेड़	56,109	906	62	57,077
21	नंदुरबार	16,709	314	17	17,040
22	नासिक	176,578	4,118	347	181,043
23	उस्मानाबाद	39,754	333	15	40,102
24	पालघर	117,629	2,177	163	119,969
25	परभणी	31,881	424	33	32,338
26	पुणे	544,193	13,180	1,426	558,799
27	रायगढ़	122,548	2,047	193	124,788
28	रत्नागिरि	46,582	378	17	46,977
29	सांगली	85,891	1,541	119	87,551
30	सतारा	93,296	1,097	68	94,461
31	सिंधुदुर्ग	26,355	192	2	26,549
32	सोलापुर	128,779	1,741	130	130,650
33	ठाणे	389,289	10,100	963	400,352
34	वर्धा	30,079	408	84	30,571
35	वाशिम	17,770	283	28	18,081
36	यवतमाल	36,638	600	58	37,296
	कुल:-	**3,573,893**	**85,560**	**9,892**	**3,669,345**

***

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1199

सोमवार, 11 दिसम्बर, 2023/20 अग्रहायण, 1945 (शक)

ईपीएफओ का पे-रोल डाटा

1199. श्री सुधीर गुप्ता:
श्री प्रतापराव जाधव:
श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे:
श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक:
श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के त्रैमासिक अनंतिम पे-रोल डाटा को जारी किया गया हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पिछली तिमाही के दौरान नामांकित नए सदस्यों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कुल संख्या कितनी है;

(ग) क्या पिछली तिमाही के दौरान बड़ी संख्या में नई महिला सदस्य शामिल हुई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) उन उद्योगों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने पे-रोल डाटा में नए प्रवेशकों की संख्या अधिक दर्शाई है; और

(ङ) क्या सरकार का बेरोजगार व्यक्तियों को कोई बेरोजगारी भत्ता प्रदान करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (घ): कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) अप्रैल, 2018 (सितम्बर, 2017 से आगे की अवधि के लिए) से प्रत्येक माह की 20 तारीख को अपना पे-रोल डाटा प्रकाशित करता आ रहा है, जिसके तहत आधार सत्यापित सार्वभौमिक खाता संख्या (यूएएन) के माध्यम से पहली बार कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) में शामिल होने वाले अभिदाताओं की संख्या, बाहर निकलने वाले मौजूदा अभिदाता और पूर्व में छोड़ चुके अभिदाताओं को निवल पे-रोल पर पहुंचने की सूचना दी जाती है। सितंबर, 2023 माह के नवीनतम प्रकाशित पे-रोल (20 नवंबर, 2023) के अनुसार, पिछली तिमाही के महीनों (जुलाई, 2023 से सितंबर, 2023 तक के वेतन माह) के लिए नए ईपीएफ अभिदाताओं के नामांकन का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **अनुबंध** में दिया गया है। पिछली तिमाही के दौरान नामांकित नई महिला ईपीएफ ग्राहकों की संचयी संख्या 7,63,687 है । नवीनतम पे-रोल रिपोर्ट के

जारी...2/-

अनुसार, नए ईपीएफ अभिदाताओं की काफी अधिक संख्या विशेषज्ञ सेवाओं (38 प्रतिशत), व्यापार-वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, भवन एवं सन्निर्माण उद्योग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एवं सामान्य इंजीनियरिंग उत्पादों, इंजीनियर्स-इंजीनियरिंग ठेकेदारों से जुड़े प्रतिष्ठानों में नामांकित की गई है।

नोट: ईपीएफओ द्वारा प्रकाशित निवल पे-रोल डेटा अनंतिम है, क्योंकि कर्मचारियों के रिकॉर्ड का अद्यतनीकरण एक सतत प्रक्रिया है और यह अनुवर्ती माह में अद्यतन हो जाता है।

(ङ): कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) द्वारा कार्यान्वित की जा रही अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना (एबीवीकेवाई) के अंतर्गत पात्रता शर्तों के अध्यधीन बेरोजगारी लाभ का भुगतान उन बीमाकृत कामगारों को किया जाता है जो अपनी नौकरी खो देते हैं। एबीवीकेवाई के तहत बेरोजगारी लाभ को औसत दैनिक आय के 25% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया है, जो 90 दिनों तक देय है, साथ ही, बीमित कामगारों हेतु लाभ का दावा करने के लिए पात्रता शर्तों में छूट प्रदान की गई है।

* *****

अनुबंध

ईपीएफओ के पे-रोल डेटा के संबंध में माननीय सांसद श्री सुधीर गुप्ता, श्री प्रतापराव जाधव, श्री धैर्यशील संभाजीराव माने, श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक और श्री श्रीरंग अप्पा बारणे द्वारा दिनांक 11.12.2023 को पूछे जाने वाले लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1199 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

क्र. सं.	राज्य/संघ-राज्य क्षेत्र	पिछली तिमाही (जुलाई, 2023 से सितंबर, 2023) के दौरान नामांकित नए ईपीएफ अभिदाताओं की संचयी संख्या
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	469
2	आंध्र प्रदेश	65484
3	अरुणाचल प्रदेश	788
4	असम	17372
5	बिहार	30856
6	चंडीगढ़	29995
7	छत्तीसगढ	29137
8	दिल्ली	201421
9	गोवा	11928
10	गुजरात	227660
11	हरियाणा	201380
12	हिमाचल प्रदेश	20730
13	जम्मू और कश्मीर	9067
14	झारखंड	25757
15	कर्नाटक	325430
16	केरल	49852
17	लद्दाख	79
18	मध्य प्रदेश	73295
19	महाराष्ट्र	574391
20	मणिपुर	540
21	मेघालय	1202
22	मिजोरम	114
23	नागालैंड	387
24	ओडिशा	42672
25	पंजाब	35785
26	राजस्थान	105264
27	तमिलनाडु	325689
28	तेलंगाना	200347
29	त्रिपुरा	1002
30	उत्तर प्रदेश	160162
31	उत्तराखंड	40045
32	पश्चिम बंगाल	117536
	कुल	**2925836**

*****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1209

सोमवार, 11 दिसम्बर, 2023/20 अग्रहायण, 1945 (शक)

ऋण प्रपत्र और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड

1209. श्री डॉ. टी सुमति (ए) तामिझाचि थंगापंडियन:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने ऋण प्रपत्र और एक्सचेंज ट्रेडेड फंडों में भारी निवेश किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा विगत सात वर्षों में प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान शेयर बाजार और संबंधित उत्पादों में कुल कितना निवेश किया गया है; और
(ग) विगत पांच वर्षों के दौरान ब्ल्यू चिप कंपनियों के शेयरों में निवेश की गई कुल ईपीएफ राशि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (ग): कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) सरकार द्वारा अधिसूचित निवेश पद्धति के अनुसार निवेश करता है। दिनांक 31.03.2022 तक की स्थिति के अनुसार ईपीएफओ द्वारा संचालित विभिन्न फंडों के अंतर्गत कुल कॉर्पस राशि 18.30 लाख करोड़ रूपय थी, जिसे निम्नानुसार निवेश किया गया:

ऋण निवेश (भारत के लोक लेखा सहित)	ईटीएफ निवेश
91.30%	8.70%

ईपीएफओ, किसी ब्ल्यू चिप कंपनी के स्टॉक सहित व्यष्टि स्टॉक में निवेश नहीं करता है। ईपीएफओ, इक्विटी बाजारों में बीएसई-सेंसेक्स एवं निफ्टी-50 सूचकांकों की प्रतिकृति के रूप में ईटीएफ के माध्यम से निवेश करता है। ईपीएफओ ने निकाय कॉर्पोरेटों में भारत सरकार की शेयरधारिता के विनिवेश के लिए विशेष रूप से बनाए गए ईटीएफ में भी समय-समय पर निवेश किया है। पिछले सात वर्षों और चालू वर्ष के दौरान ईटीएफ में ईपीएफओ द्वारा किये गए निवेश का ब्यौरा निम्नानुसार है:

जारी...2/-

वर्ष	निवेश की गई राशि (करोड़ रुपये में)
2016-17	14,983
2017-18	24,790
2018-19	27,974
2019-20	31,501
2020-21	32,071
2021-22	43,568
2022-23	53,081*
2023-24 (अक्टूबर, 2023 तक)	27,105*

*अनंतिम

*****

1807200/2024/PQ CELL

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 1379

सोमवार, 11 दिसंबर, 2023/20 अग्रहायण, 1945 (शक)

आत्मनिर्भर रोजगार योजना के अंतर्गत लाभार्थी

1379. डॉ. भारतीबेन डी. श्याल:
डॉ. सत्यपाल सिंह:
श्री राजेन्द्र धेड्या गावित:
श्री दुर्गा दास उइके:
श्री जयंत सिन्हा:
श्री प्रतापराव पाटिल चिखलीकर:
श्री पल्लब लोचन दास:
श्री दिलीप शइकीया:
श्री नारणभाई काछड़िया:
श्री संजय भाटिया:
डॉ. अरविंद कुमार शर्मा:
श्री अण्णासाहेब शंकर जोल्ले:
श्री बिद्युत बरन महतो:
श्री रणजितसिंह नाईक निंबालकर:
डॉ. रामशंकर कठेरिया:
श्री शंकर लालवानी:
श्री भोलानाथ **'बी.पी. सरोज':**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) आत्मनिर्भर रोजगार योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ख) इस योजना के लाभार्थियों की संख्या का राज्य-वार और क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना के लिए आवंटित बजट में से कुल कितना व्यय किया गया है;

(घ) सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के प्रमुख प्रावधान और ब्यौरा क्या है;

(ङ) संबंधित प्राधिकारियों द्वारा संहिता लागू किए जाने के बाद कामगारों को क्या लाभ होने की संभावना है; और

(च) विशेष रूप से कर्नाटक और झारखंड राज्यों में इस योजना के लाभार्थियों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (ग): आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई), नए रोजगार का सृजन करने हेतु नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने तथा कोविड-19 महामारी के दौरान हुई रोजगार हानि के प्रतिस्थापन हेतु दिनांक 01 अक्तूबर, 2020 से प्रारंभ की गई है। इस योजना की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- 15,000/- रु. से कम मासिक वेतन पाने वाला वह कर्मचारी, जो दिनांक 01 अक्तूबर, 2020 से पूर्व, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) से पंजीकृत किसी प्रतिष्ठान में कार्य नहीं कर रहा था, लाभ हेतु पात्र होगा। वे कर्मचारी, जो कोविड-19 महामारी वे दौरान अपना रोजगार गंवा चुके थे एवं दिनांक 30.09.2020 तक ईपीएफ से कवर किसी प्रतिष्ठान में नियोजित नहीं थे, वे भी लाभ के लिए पात्र हैं।
- भारत सरकार, ईपीएफओ से पंजीकृत प्रतिष्ठानों की कर्मचारी संख्या के आधार पर, कर्मचारियों के देय अंशदान (वेतन का 12%) तथा नियोक्ता के देय अंशदान (वेतन का 12%)-दोनों का अथवा केवल कर्मचारियों का अंशदान 2 वर्ष के लिए वहन कर रही है।
- यह योजना दिनांक 01 अक्टूबर 2020 से आरंभ की गई थी तथा पात्र नियोक्ताओं और नए कर्मचारियों के लिए पंजीकरण 31 मार्च 2022 तक चालू था।

दिनांक 05.12.2023 तक, 60.49 लाख कर्मचारियों वाले कुल 1,52,499 प्रतिष्ठानों ने 10,043.02 करोड़ रुपये का लाभ प्राप्त किया है। दिनांक 05.12.2023 तक, इस योजना के तहत लाभार्थियों का राज्य-वार और क्षेत्र-वार विवरण क्रमशः **अनुबंध-I** और **II** में है।

(घ) से (च): केंद्र सरकार ने मौजूदा 9 केंद्रीय अधिनियमों के प्रासंगिक प्रावधानों को समाहित, सरल और तर्कसंगत बनाने के बाद सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (एसएस कोड) तैयार की है और उपरोक्त संहिता को सामान्य जानकारी के लिए आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया है। समाजिक सुरक्षा संहिता का उद्देश्य सभी कामगारों को सामाजिक सुरक्षा लाभ पहुंचाना है इसमें असंगठित क्षेत्रों के साथ-साथ गिग और प्लेटफ़ॉर्म कामगार भी शामिल हैं। उपरोक्त संहिता में अन्य बातों के साथ-साथ परिकल्पित कुछ प्रमुख प्रावधान इस प्रकार हैं:-

(i) ईएसआईसी या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के माध्यम से असंगठित कामगारों, गिग कामगारों और प्लेटफ़ॉर्म कामगारों तथा उनके परिवारों के सदस्यों को लाभ का विस्तार।

(ii) सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने के लिए योजनाएं तैयार करने के उद्देश्य से गिग कामगारों और प्लेटफॉर्म कामगारों को परिभाषित किया गया है। सामाजिक सुरक्षा योजनाएं एग्रीगेटर्स और अन्य क्षेत्रों के योगदान से तैयार की जा सकती हैं और इसमें केंद्र और राज्य सरकारों से प्राप्त धन राशि शामिल की जा सकती है।

(iii) असंगठित कामगारों, गिग कामगारों और प्लेटफ़ॉर्म कामगारों के कल्याण के लिए योजनाएं तैयार करने के लिए सामाजिक सुरक्षा कोष की स्थापना।

*****

1807200/2024/PQ CELL

अनुबंध-I

लोक सभा के दिनांक 11.12.2023 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1379 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

एबीआरवाई के तहत लाभार्थियों का राज्य क्षेत्र-वार विवरण (दिनांक 05.12.2023 तक)

राज्य का नाम	लाभार्थी प्रतिष्ठानों की संख्या	लाभार्थी कर्मचारियों की संख्या
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	36	479
आंध्र प्रदेश	4044	166959
अरुणाचल प्रदेश	17	514
असम	669	19902
बिहार	1213	28551
चंडीगढ़	1584	64817
छत्तीसगढ़	2951	85101
दिल्ली	3146	227663
गोवा	542	20947
गुजरात	15578	644000
हरियाणा	7640	400551
हिमाचल प्रदेश	2164	83380
जम्मू और कश्मीर	891	19384
झारखंड	2248	62773
कर्नाटक	11007	486776
केरल	2732	96338
लद्दाख	17	190
मध्य प्रदेश	6257	205799
महाराष्ट्र	22447	978812
मणिपुर	57	1692
मेघालय	39	1224
मिजोरम	15	377
नागालैंड	17	234
ओडिशा	4195	89354
पंजाब	6550	171000
राजस्थान	11480	326553
सिक्किम	113	3766
तमिलनाडु	16760	817952
तेलंगाना	5392	283292
त्रिपुरा	150	5440
उत्तर प्रदेश	12413	433565
उत्तराखंड	2425	93500
पश्चिम बंगाल	7710	227625
सकल योग	**152499**	**6048510**

स्रोतः ईपीएफओ, एमओएलई

1807200/2024/PQ CELL

अनुबंध-II

लोक सभा के दिनांक 11.12.2023 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1379 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) के तहत लाभार्थियों का क्षेत्र-वार विवरण (दिनांक 05.12.2023 तक)

क्र.सं.	उद्योग	लाभार्थी प्रतिष्ठानों की संख्या	लाभार्थी कर्मचारियों की संख्या
1	सोडा वाटर	126	2801
2	अगरबत्ती	120	4718
3	कृषि फार्म	482	9496
4	अपरटाईट खान	1	4
5	आर्किटेक्ट्स	109	1665
6	एस्बेस्टोस	13	391
7	एस्बेस्टस सीमेंट शीट	24	1109
8	अभ्रक खान	7	56
9	अटार्नी	6	141
10	ऑटोमोबाइल सर्विसिंग	1865	50525
11	बॉल क्ले माइन्स	2	17
12	राष्ट्रीयकृत बैंकों के अलावा अन्य बैंक	228	7649
13	बैराइट्स खान	2	11
14	बॉक्साइट खान	3	58
15	बीड़ी निर्माण	250	19326
16	बीयर एमएफजी	19	640
17	बिस्किट बनाना	240	11957
18	बोन क्रशिंग	14	146
19	बॉटनिकल गार्डन्स	25	421
20	ब्रेड	159	6604
21	ईंटें	752	8447
22	ब्रश	26	488
23	भवन और निर्माण उद्योग	8475	223764
24	बटन	9	128
25	केल्साइट खान	3	89
26	गन्ने के खेत	4	68
27	कैंटीन	458	15474
28	इलायची के बागान	4	231
29	काजू	246	5746
30	मवेशी चारा उद्योग	107	8188
31	सीमेंट	182	3762
32	चार्टर्ड या पंजीकृत एकाउंटेंट	160	2184
33	चीन मिट्टी की खदान	4	58
34	क्रोमाइट खान	8	1020
35	सिगरेट	7	138
36	5 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले सिनेमा थिएटर	23	110
37	पूर्वावलोकन थिएटर सहित सिनेमा	71	727
38	कॉफी शोधन	8	180
39	कॉफी बागान	18	190
40	कॉयर	68	1278

41	कॉलेज	930	18102
42	जीवन बीमा, वार्षिकी आदि की पेशकश करने वाली कंपनियाँ।	48	5248
43	प्रदर्शन के लिए कंपनियां/सोसाइटियां संगठन/क्लब/मंडलियां	488	12107
44	हलवाई की दुकान	418	18445
45	कोरंडम खदानें	2	29
46	लागत - कार्य लेखाकार	43	795
47	कपास की कटाई	361	10100
48	मिट्टी के बरतन	82	1260
49	दाल मिल	103	1557
50	हीरे की कटाई	321	13124
51	हीरा खान	3	43
52	डायमंड सॉ मिल्स	8	82
53	आसवन – रैक्टीफाईंग ऑफ स्पिट्रस	63	1744
54	वितरण-फिल्म	21	305
55	डोलोमाइट खान	7	130
56	खाद्य तेल - वसा	350	7856
57	इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल या जनरल इंजीनियरिंग उत्पाद	9964	271237
58	इलेक्ट्रिक पोर्सिलेन इंसुलेटर	121	2103
59	बिजली (जी, टी, डी)	469	7807
60	निजी क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कंपनियां	211	6633
61	पन्ना खान	2	225
62	इंजीनियर्स – इंजीनियर ठेकेदार	11195	288312
63	निर्माण, मार्केटिंग सर्विसिंग, कंप्यूटर के उपयोग में लगे प्रतिष्ठान	2125	98823
64	निर्माण, रखरखाव, संचालन के लिए रेलवे में लगे प्रतिष्ठान	383	8629
65	सफाई, सफाई सेवाओं में लगे प्रतिष्ठान	2731	154243
66	कूरियर सेवाएं प्रदान करने में लगे प्रतिष्ठान	126	20501
67	विमान या एयरलाइंस प्रतिष्ठान	12	176
68	विशेषज्ञ सेवाएँ	38932	2155431
69	विस्फोटक	79	2658
70	फेल्डस्पार खदानें	5	118
71	फेरो क्रोम	18	1721
72	फेरो मैंगनीज	22	381
73	फिल्म प्रक्रिया-प्रयोगशालाएँ	17	250
74	फिल्म निर्माण संबंधी	22	983
75	फ़िल्म स्टूडियो	12	101
76	वित्तीय प्रतिष्ठान	863	150104
77	फायर वर्क्स	147	2095
78	फ़ायरक्ले खदानें	2	167
79	मछली प्रसंस्करण और मांसाहारी खाद्य संरक्षण	188	16657
80	फ्लेवराइट की खदानें	3	420
81	आटा मिल	313	5008
82	अग्रेषण अभिकरण	248	7959
83	फलों के बगीचे	13	420
84	फल - शाकाहारी संरक्षण	338	8906
85	गारमेंटस बनाना	2339	275523
86	गौर गोंद फ़ैक्टरियाँ	14	223
87	सामान्य बीमा	24	7288
88	काँच	241	7361
89	ग्लू और जिलेटिन कारखाने	6	56

90	सोने की खदानें	41	672
91	ग्रेफाइट खदानें	3	41
92	जिप्सम खदानें	6	44
93	भारी - बढ़िया रसायन	1905	54425
94	अस्पताल	4721	141504
95	होटल	2635	51188
96	बर्फ या आइसक्रीम	67	1372
97	इंडिगो	8	1518
98	आईएनडीएल. - पावर अल्कोहल	11	290
99	इंडोलियम	31	907
100	अंतर्देशीय जल परिवहन	24	613
101	लोहा और इस्पात	2229	60869
102	लौह अयस्क खदानें	26	778
103	लौह अयस्क छर्रे	41	1060
104	जूट	38	1948
105	जूट बेलना	10	178
106	कत्था बनाना	15	266
107	ज्ञान या प्रशिक्षण संस्थान	375	10548
108	कायनाइट खान	2	20
109	एलएसी/शैलैक	9	83
110	लाँड्री - लाँड्री सेवाएँ	48	1494
111	चर्म उत्पाद	846	52369
112	लिग्नाइट खान	4	202
113	चूना पत्थर की खदानें	35	681
114	लिनोलियम	1	19
115	लॉजिंग हाऊस, सेवा अपार्टमेंट, कॉन्डोमिनियम	164	7102
116	मैग्नेसाइट खान	7	198
117	मैंगनीज खान	7	65
118	मार्बल खान	25	429
119	माचिस	74	1173
120	मेडिकल चिकित्सक	506	11991
121	भोजनालय	32	548
122	अभ्रक खदानें	6	82
123	अभ्रक खदानें - अभ्रक उद्योग	24	793
124	दूध उत्पाद	496	12530
125	खनिज तेल शोधन	45	461
126	मिश्रित वृक्षारोपण	33	465
127	नगर परिषद/निगम	127	4404
128	मायरोबलन - वनस्पति टेनिंग	7	156
129	समाचार पत्र प्रतिष्ठान	102	1012
130	खाद्य तेल/वसा	67	1934
131	अलौह धातु और मिश्र धातु	382	19604
132	गेरू खान	9	705
133	अन्य	7932	211264
134	पेंट्स - वार्निश	294	11581
135	कागज़	280	7379
136	कागज उत्पादन	939	19307
137	काली मिर्च के पौधे	3	29
138	पेट्रोलियम / प्राकृतिक गैस उत्पादन	266	2576
139	पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस रिफाइनिंग	263	2667
140	पिकर	36	1174

141	प्लास्टिक उत्पाद	2299	79846
142	प्लाईवुड	534	12246
143	मुर्गी पालन	155	15865
144	मुद्रण	773	14820
145	निजी हवाई अड्डे और संयुक्त उद्यम हवाई अड्डे	1	13
146	लकड़ी का प्रसंस्करण एवं उपचार	67	1951
147	कार्बाटाइट खदानें	2	8
148	स्फटिक खदानें	10	3090
149	रेलवे बुकिंग एजेंसियां	3	17
150	रीफ्रैक्टरीज	111	4727
151	शोध संस्था	83	2791
152	रेस्टोरेंट	1501	42740
153	चावल मिल	1334	9484
154	सड़क मोटर परिवहन	1080	37981
155	रबर बागान	14	514
156	रबर उत्पाद	694	38373
157	नमक	51	620
158	सेनेटरी वेयर	134	3156
159	सॉ मिल्स	58	964
160	विद्यालय	4993	64132
161	वैज्ञानिक संस्थान	51	895
162	सिलिका (रेत) खान	16	194
163	सिलीमिनाईट खान	5	92
164	सोप स्टोन खदान	27	741
165	सोसायटी / क्लब / संघ	188	3782
166	सोसायटी क्लब या संघ	1108	21691
167	कॉटन वेस्ट की छंटाई / सफाई / टीजिंग	42	1760
168	स्टार्च	28	981
169	स्टेशनरी उत्पाद	102	2237
170	स्टीटाइट की खदानें	11	135
171	तम्बाकू का पौधारोपन या इसके पत्तों को फिर से सुखाना	2	24
172	स्टीवडोरिंग, लोडिंग-अनलोडिंग जहाज	77	4925
173	चिप्स बनाने वालों आदि के लिए पत्थर की खदान	99	1267
174	रूफ-फ्लोर स्लैब आदि के लिए पत्थर की खदान	107	1719
175	पत्थर के जार	15	356
176	स्टोनवेयर पाइप्स	45	570
177	पेट्रोल/प्राकृतिक गैस का भंडारण, परिवहन या वितरण	637	7225
178	चीनी	134	7522
179	चाय	121	4758
180	चाय बागान	60	2859
181	टेंट बनाना	25	574
182	कपड़ा	6516	468518
183	ड्रामेटिक प्रदर्शन वाले थिएटर	14	435
184	टाइल्स	196	3490
185	तंबाकू उद्योग	66	1524
186	व्यापार - वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	11526	424392
187	ट्रैवल एजेंसी	525	11328
188	विश्वविद्यालय	163	4520
189	विश्वविद्यालय, कॉलेज, स्कूल, आदि	2228	28666
190	वाइंडिंग थ्रेड यार्न रीलिंग	85	7144

191	लकड़ी संरक्षण संयंत्र	10	174
192	लकड़ी मसाला भट्टियाँ	9	3225
193	लकड़ी की कार्यशाला	334	10943
194	प्राणी उद्यान	12	337
	सकल योग	**152499**	**6048510**

स्रोतः ईपीएफओ, एमओएलई

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1375

गुरुवार, 14 दिसंबर, 2023/23 अग्रहायण, 1945 (शक)

औद्योगिक दुर्घटनाओं में मृत्यु होने/घायल होने के मामले में मुआवजा

1375. श्री संदीप कुमार पाठक:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार/राज्य सरकारों/निजी संस्थाओं के कारखानों में होने वाली औद्योगिक दुर्घटना के दौरान कर्मचारियों/संविदा कर्मचारियों और आउटसोर्स कंपनी/अन्य के कर्मचारियों की मृत्यु होने/घायल होने के मामले में केन्द्र सरकार द्वारा मुआवजे का क्या प्रावधान है; और

(ख) औद्योगिक दुर्घटनाओं के मामले में मुआवजे के संबंध में वाणिज्य और उद्योग मंत्री तथा अन्य संबंधित मंत्रालयों तथा औद्योगिक दुर्घटनाओं के मामले में मुआवजे के संबंध में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के श्रम मंत्रियों और अन्य संबंधित मंत्रालयों के साथ विगत पांच वर्षों में मंत्री महोदय द्वारा की गई बैठकों, उन बैठकों की कार्यसूची और उनमें लिए गए निर्णयों और व उनके परिणामों की सूची क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क) और (ख): कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923 अन्य बातों के साथ-साथ, रोजगार से अथवा रोजगार के दौरान घायल होने और दुर्घटना होने के कारण नि:शक्तता अथवा मृत्यु होने पर कर्मचारियों और उनके आश्रितों हेतु मुआवजे के भुगतान के लिए उपबंध करता है। यह अधिनियम राज्य सरकारों द्वारा क्रियान्वित किया जाता है।

परामर्श प्रक्रिया के भाग के रूप में, राज्यों के प्रतिनिधियों सहित एक त्रिपक्षीय बैठक दिनांक 26.09.2019 को आयोजित की गई थी। कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923 के उपबंधों के अधीन कामगारों को मुआबजे की गणना के उद्देश्य से दिनांक 03.01.2020 से मासिक मजदूरी सीमा 8000/- रूपए से बढ़ाकर 15000/- रूपए कर दी गई थी।

इसके अतिरिक्त कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआई) अधिनियम, 1948 के अंतर्गत कवर किए गए कामगारों को चिकित्सा लाभ, नि:शक्तता लाभ, आश्रित लाभ सहित व्यापक सामाजिक सुरक्षा लाभ भी प्रदान किए जाते हैं।

कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध (ईपीएफ और एमपी) अधिनियम, 1952 के तहत योजनाओं के सदस्यों के आश्रितों को पेंशन और बीमा के रुप में सामाजिक सुरक्षा लाभ भी प्रदान किए जाते हैं। जहां औद्योगिक दुर्घटना या अन्यथा किसी कारण मृत्यु हुई है, इन लाभों का भुगतान अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मृत सदस्य के आश्रितों/नामित व्यक्ति को किया जाता है।

उपदान संदाय अधिनियम, 1972 के तहत, कर्मचारी या उसके नामित व्यक्ति या उत्तराधिकारी, जैसा भी मामला हो, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार दुर्घटना या बीमारी के कारण कर्मचारी की मृत्यु या नि:शक्तता पर उपदान प्राप्त करने के लिए पात्र हैं।

******

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2347

सोमवार, 18 दिसम्बर, 2023/27 अग्रहायण, 1945 (शक)

पेंशन में बढ़ोत्तरी

2347. श्री रामदास तडस:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने एक राष्ट्रीय संगठन का गठन किया है और कई वर्षों से पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे है;

(ख) यदि हां, तो उक्त सेवानिवृत्त कर्मचारियों को वर्तमान में कितनी पेंशन दी जा रही है और देश भर में उक्त पेंशनभोगियों की कुल संख्या कितनी है;

(ग) क्या उक्त सेवानिवृत्त कर्मचारियों की मांग सरकार के पास विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (घ): कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस), 1995 के अंतर्गत न्यूनतम पेंशन में वृद्धि करने के लिए पेंशनभोगी संघ सहित विभिन्न हितधारकों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

ईपीएस, 1995 एक "परिभाषित अंशदान-परिभाषित लाभ" सामाजिक सुरक्षा योजना है। कर्मचारी पेंशन निधि का कोष (i) नियोक्ता द्वारा वेतन के 8.33 प्रतिशत अंशदान से; (ii) केन्द्र सरकार से बजटीय सहायता के माध्यम से 15,000/- रुपये प्रति माह की राशि तक 1.16 प्रतिशत की दर से वेतन के अंशदान से बना है । इस योजना के तहत सभी लाभों का भुगतान इस तरह के संचय से किया जाता है। ईपीएस, 1995 के पैरा 32 के तहत अनिवार्य रूप से निधि का मूल्यांकन वार्षिक रूप से किया जाता है और 31.03.2019 तक की स्थिति के अनुसार निधि के मूल्यांकन के अनुसार बीमांकिक घाटा हुआ है।

योजना के तहत सदस्य की पेंशन की राशि निम्नलिखित सूत्र के अनुसार सेवा की पेंशन योग्य अवधि और पेंशन योग्य वेतन को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की जाती है:

<u>पेंशन योग्य सेवा X पेंशन योग्य वेतन</u>

70

जारी..2/-

हालांकि, सरकार ने पहली बार वर्ष 2014 में बजटीय सहायता प्रदान करके ईपीएस, 1995 के तहत पेंशनभोगियों को 1000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम पेंशन प्रदान की, जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) को ईपीएस के लिए वार्षिक रूप से प्रदान किए गए वेतन के 1.16% की बजटीय सहायता के अतिरिक्त थी।

वित्त वर्ष 2022-2023 में ईपीएस, 1995 के तहत 49,54,490 सदस्य पेंशनभोगियों को 10,361.34 करोड़ रुपये की पेंशन वितरित की गई है।

******

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 2366

सोमवार, 18 दिसंबर, 2023/27 अग्रहायण, 1945 (शक)

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) के द्वारा लक्ष्य को प्राप्त करना

2366. श्री विनायक भाऊराव राऊत:
श्री संजय जाधव:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) के तहत निर्धारित लक्ष्य और लक्ष्य प्राप्त करने के लिए निर्धारित समय- सीमा और उक्त लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किए गए प्रयासों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कई नियोक्ताओं और कर्मचारियों के बीच एबीआरवाई के बारे में जागरूकता की कमी है और वे इसमें शामिल जटिलताओं के कारण इसके लाभों से वंचित हैं और यदि हां, तो इन मुद्दों के समाधान के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने पात्रता शर्तों को और अधिक व्यवस्थित बनाने के लिए एबीआरवाई में संशोधन करने के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं या उठाने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) पिछले पांच वर्षों के दौरान उक्त योजना के तहत हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ङ) उक्त योजना की शुरुआत से लेकर अब तक इसके तहत कितने व्यक्तियों को लाभ हुआ है; और

(च) उक्त योजना के तहत पंजीकृत नए कर्मचारियों की संख्या और विवरण और कार्यान्वयन का राज्य-वार विशेष रूप से महाराष्ट्र का जिला-वार विवरण क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (च): आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई), नए रोजगारों के सृजन तथा कोविड-19 महामारी के दौरान समाप्त हुए रोजगारों के पुनः स्थापन हेतु नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, दिनांक 01 अक्तूबर, 2020 से प्रारंभ की गई थी। लाभार्थियों के पंजीकरण की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2022 थी। इस योजना के तहत दिनांक 31 मार्च, 2022 तक पंजीकृत लाभार्थियों को पंजीकरण की तारीख से 2 साल तक लाभ मिलता रहेगा। इस योजना का उद्देश्य कुल 71.80 लाख सदस्यों को लाभान्वित करना था और इस योजना के तहत पंजीकरण की अंतिम तिथि तक कुल पंजीकरण 75.11 लाख है।

एबीआरवाई के तहत पंजीकृत प्रत्येक प्रतिष्ठान/नए कर्मचारी जो पात्रता मानदंडों को पूरा कर रहे थे, उन्हें इस योजना के तहत लाभान्वित किया गया। दिनांक 11.12.2023 तक, 1.52 लाख प्रतिष्ठानों के माध्यम से 60.49 लाख लाभार्थियों को 10,050.26 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई है।

इसके साथ-साथ, नियोक्ताओं और कर्मचारियों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए समय-समय पर निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

I. एबीआरवाई के तहत पंजीकृत नहीं होने वाले नियोक्ताओं को ईपीएफओ के नियोक्ता पोर्टल पर संदेशों के माध्यम से सूचित किया गया था।
II. ईपीएफओ के क्षेत्रीय और क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से नियोक्ताओं/नियोक्ता संघों के साथ वेबिनार आयोजित किए गए।
III. सोशल मीडिया आउटरीच के माध्यम से जागरूकता बढ़ाना।
IV. उन प्रतिष्ठानों को शिक्षित/प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक प्रयास किये गए जिन्होंने पहले आवश्यक मानदंडों को पूरा किया है, लेकिन वे एबीआरवाई के तहत पंजीकृत नहीं हैं।
V. एबीआरवाई के तहत नियोक्ताओं को एसएमएस द्वारा पंजीकरण की अंतिम तिथि बताना और उन्हें पंजीकरण के लिए प्रेरित करना।
VI. वेबसाइट पर सृजनात्मकता के माध्यम से प्रचार-प्रसार करना।

इस योजना के तहत पंजीकृत कर्मचारियों की संख्या का राज्य-वार विवरण **अनुबंध-I** में है और महाराष्ट्र राज्य में पंजीकृत कर्मचारियों की संख्या का जिला-वार विवरण **अनुबंध- II** में है।

*****

अनुबंध-I

लोक सभा के दिनांक 18.12.2023 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2366 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत पंजीकृत कर्मचारियों की संख्या का राज्य-वार विवरण

राज्य	पंजीकृत कर्मचारियों की संख्या
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	565
आंध्र प्रदेश	2,03,178
अरुणाचल प्रदेश	558
असम	28,141
बिहार	42,781
चंडीगढ़	79,609
छत्तीसगढ़	1,04,467
दिल्ली	3,04,592
गोवा	28,421
गुजरात	8,11,380
हरियाणा	5,43,607
हिमाचल प्रदेश	1,00,374
जम्मू और कश्मीर	22,369
झारखंड	77,578
कर्नाटक	6,13,442
केरल	1,08,898
लद्दाख	255
मध्य प्रदेश	2,52,004
महाराष्ट्र	12,25,654
मणिपुर	2,335
मेघालय	1,567
मिजोरम	402
नागालैंड	299
ओडिशा	1,10,417
पंजाब	1,98,046
राजस्थान	3,92,512
सिक्किम	4,824
तमिलनाडु	10,11,565
तेलंगाना	3,70,143
त्रिपुरा	5,580
उत्तर प्रदेश	5,25,258
उत्तराखंड	1,30,469
पश्चिम बंगाल	2,88,355
अखिल भारत	**75,89,645**

स्रोतः ईपीएफओ, एमओएलई

अनुबंध-II

लोक सभा के दिनांक 18.12.2023 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2366 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

महाराष्ट्र राज्य में आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत पंजीकृत कर्मचारियों की संख्या का जिला-वार विवरण

राज्य	जिला	पंजीकृत कर्मचारियों की संख्या
महाराष्ट्र	यवतमाल	2302
महाराष्ट्र	वाशिम	514
महाराष्ट्र	वर्धा	2930
महाराष्ट्र	ठाणे	236699
महाराष्ट्र	सोलापुर	17333
महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	986
महाराष्ट्र	सतारा	14948
महाराष्ट्र	सांगली	6283
महाराष्ट्र	रत्नागिरि	3360
महाराष्ट्र	राजगढ़	102
महाराष्ट्र	रायगढ़	26190
महाराष्ट्र	पुणे	326609
महाराष्ट्र	परभनी	891
महाराष्ट्र	पालघर	17265
महाराष्ट्र	उस्मानाबाद	1023
महाराष्ट्र	नासिक	54007
महाराष्ट्र	नंदुरबार	166
महाराष्ट्र	नांदेड़	1959
महाराष्ट्र	नागपुर	45164
महाराष्ट्र	मुंबई शहर	156426
महाराष्ट्र	मुंबई (उपनगरीय)	173443
महाराष्ट्र	महाराष्ट्र	2
महाराष्ट्र	लातूर	2967
महाराष्ट्र	कोल्हापुर	35469
महाराष्ट्र	जलना	5344
महाराष्ट्र	जलगांव	5304
महाराष्ट्र	हिंगोली	411
महाराष्ट्र	गोंदिया	1197
महाराष्ट्र	गडचिरोली	172
महाराष्ट्र	धुले	1921
महाराष्ट्र	चेन्नई	8
महाराष्ट्र	चंद्रपुर	4776
महाराष्ट्र	बुलढाणा	1231
महाराष्ट्र	बोड	1642
महाराष्ट्र	भंडारा	904
महाराष्ट्र	बेंगलुरु शहरी	11
महाराष्ट्र	औरंगाबाद	57287
महाराष्ट्र	अमरावती	5246
महाराष्ट्र	अकोला	1273
महाराष्ट्र	अहमदनगर	11889

स्रोतः ईपीएफओ, एमओएलई

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2411

सोमवार, 18 दिसम्बर, 2023 / 27 अग्रहायण, 1945 (शक)

दिहाड़ी कामगारों के लिए योजना

2411. डॉ. एम.के. विष्णु प्रसाद:
डॉ. संजीव कुमार शिंगरी:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2022-23 के दौरान अपने स्थानीय क्षेत्र में काम करने वाले दिहाड़ी मजदूरों को काम के लिए अन्य राज्यों या क्षेत्रों में पलायन से रोकने और उनकी बेहतरी के लिए कोई योजना शुरू की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का 'न्यूनतम मजदूरी' से 'जीवनयापन मजदूरी' की ओर बढ़ाने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है और इससे कितने लोगों के लाभान्वित होने की संभावना है; और

(घ) क्या सरकार ने दैनिक मजदूरी कामगारों के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के बारे में जागरुकता अभियान शुरू किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (घ): असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 के अनुसार, सरकार को दिहाड़ी मजदूरों सहित असंगठित क्षेत्र के कामगारों को जीवन और निःशक्तता कवर, स्वास्थ्य और प्रसूति प्रसुविधा, वृद्धावस्था संरक्षण आदि से संबंधित मामलों पर उपयुक्त कल्याणकारी योजनाएँ तैयार करके सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए अधिदेशित किया गया है। दिहाड़ी मजदूरों सहित असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का ब्यौरा निम्न प्रकार है:

(i) प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के माध्यम से जीवन और नि:शक्तता कवर प्रदान किया जाता है।

(ii) आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के माध्यम से स्वास्थ्य और प्रसूति प्रसुविधा सुनिश्चित की जाती है। इसमें द्वितीयक और तृतीयक देखभाल हेतु अस्पताल में भर्ती के लिए प्रति परिवार 5.00 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान किया जाता है।

(iii) 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद 3,000/- रुपये की मासिक पेंशन के रूप में प्रधान मंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएम-एसवाईएम) पेंशन योजना के माध्यम से वृद्धावस्था संरक्षण प्रदान किया जाता है।

उपर्युक्त के अलावा, दिहाड़ी मजदूरों सहित असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए उनकी पात्रता से संबंधित मानदंडों के आधार पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना, महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना, दीन दयाल अंत्योदय योजना, पीएमस्वनिधि, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना आदि जैसी अन्य योजनाएं भी उपलब्ध हैं।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के तहत न्यूनतम मजदूरी के उपबंध में न्यूनतम मजदूरी के एक घटक के रूप में जीवन-निर्वाह लागत भत्ते का प्रावधान है। तदनुसार, केंद्रीय सरकार न्यूनतम मजदूरी को महंगाई के प्रभावों से बचाने के लिए औद्योगिक कामगारों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर प्रत्येक वर्ष न्यूनतम मजदूरी की मूल दरों पर निर्वाह लागत भत्ते जिसे परिवर्ती महंगाई भत्ता (वीडीए) कहा जाता है, में प्रत्येक छह महीने में संशोधन करती है जो 1 अप्रैल और 1 अक्तूबर से प्रभावी होती है। हाल ही में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के उपबंधों को तर्कसंगत बनाया गया है और मजदूरी संहिता, 2019 के तहत सम्मिलित किया गया है और इसमें अपेक्षित न्यूनतम मजदूरी के घटकों में जीवन-निर्वाह लागत भत्ते का भी प्रावधान है। इसके अलावा, संहिता में न्यूनतम मजदूरी को सभी रोजगारों में सार्वभौमिक रूप से लागू किया गया है और इस प्रकार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के तहत यथाउपबंधित अनुसूचित रोजगारों तक सीमित न्यूनतम मजदूरी की सीमित प्रयोज्यता का दायरा बढ़ाया गया है।

संहिता के तहत उपबंध अब तक लागू नहीं हुए हैं।

*****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2482

सोमवार, 18 दिसम्बर, 2023/27 अग्रहायण, 1945 (शक)

सामान्य जन के लिए पेंशन में वृद्धावस्था पेंशन

2482. श्री टी.आर.बालू:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लाखों ईपीएस पेंशनभोगियों को लगभग 1000/-रुपये की मामूली राशि ही मिल रही है जबकि वे सेवानिवृत्ति के समय वरिष्ठ पदों पर थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त पेंशनभोगियों के लिए पेंशन की न्यनूतम राशि को बढ़ाकर 5000/- रुपये प्रतिमाह करने का है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (ग): ईपीएस, 1995 एक "परिभाषित अंशदान-परिभाषित लाभ" सामाजिक सुरक्षा योजना है। कर्मचारी पेंशन निधि का कोष (i) नियोक्ता द्वारा वेतन के 8.33 प्रतिशत अंशदान से; (ii) केन्द्र सरकार से बजटीय सहायता के माध्यम से 15,000/- रुपये प्रति माह की राशि तक 1.16 प्रतिशत की दर से वेतन के अंशदान से बना है। इस योजना के तहत सभी लाभों का भुगतान इस तरह के संचय से किया जाता है। ईपीएस, 1995 के पैरा 32 के तहत अनिवार्य रूप से निधि का मूल्यांकन वार्षिक रूप से किया जाता है और 31.03.2019 तक की स्थिति के अनुसार निधि के मूल्यांकन के अनुसार बीमांकिक घाटा हुआ है।

योजना के तहत सदस्य की पेंशन की राशि निम्नलिखित सूत्र के अनुसार सेवा की पेंशन योग्य अवधि और पेंशन योग्य वेतन को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की जाती है:

$$\frac{\text{पेंशन योग्य सेवा X पेंशन योग्य वेतन}}{70}$$

हालांकि, सरकार ने पहली बार वर्ष 2014 में बजटीय सहायता प्रदान करके ईपीएस, 1995 के तहत पेंशनभोगियों को 1000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम पेंशन प्रदान की, जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) को ईपीएस के लिए वार्षिक रूप से प्रदान किए गए वेतन के 1.16% की बजटीय सहायता के अतिरिक्त थी।

******

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या. 2514
(जिसका उत्तर सोमवार, 18 दिसंबर, 2023/ 27 अग्रहायण, 1945 (शक) को दिया जाना है)

'पीएम गरीब कल्याण योजना'

2514.श्री आर.के. सिंह पटेलः
श्री देवजी पटेलः
श्री ज्ञानेश्वर पाटिलः
श्री घनश्याम सिंह लोधीः
श्री एस.सी. उदासीः
श्री नारणभाई काछड़ियाः
श्री बिद्युत बरन महतोः
श्री रणजितसिंह नाईक निंबालकरः
डॉ. उमेश जी. जाधवः
श्री दिलीप शइकीयाः
श्रीमती संध्या रायः
श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगारेः

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पीएम गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) के कामकाज का तरीका क्या है और इसका परिचालन समय कितना है;
(ख) पीएमजीकेवाई के तहत निधि के आवंटन का मध्य प्रदेश सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) पीएमजीकेवाई के तहत अतीत में कितना व्यय किया गया है, वर्तमान में कितना व्यय किया जा रहा है और भविष्य में कितना व्यय किए जाने की संभावना है;
(घ) मध्य प्रदेश और खंडवा संसदीय क्षेत्र सहित देश में पीएमजीकेवाई से लाभान्वित हुए परिवारों की संख्या कितनी है; और
(ङ) किन राज्यों ने पीएमजीकेवाई को अपना लिया है और किन राज्यों ने इसे नहीं अपनाया है?

उत्तर
वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (ङ) सरकार द्वारा कोविड-19 के विरूद्ध संघर्ष में गरीबों की सहायता के लिए 26.3.2020 को 1.70 लाख करोड़ रुपये के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज (पीएमजीकेपी) की घोषणा की गई थी। प्रदान किए गए लाभ निम्नानुसार थे: -

(i) प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएम-जीकेएवाई) के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य प्रतिभूति अधिनियम (एनएफएसए) के सभी मौजूदा लाभार्थियों को प्रति माह 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति की दर से अतिरिक्त खाद्यान्न (चावल/गेहूं) और क्षेत्रीय प्राथमिकताओं के अनुसार दाल 1 किलोग्राम प्रति परिवार की दर से निशुल्क प्रदान की गई। ये योजनाएं शुरू में अप्रैल से जून 2020 तक तीन महीने की अवधि के लिए थीं, लेकिन नवंबर, 2020 तक बढ़ा दी गई थीं। अतिरिक्त निःशुल्क अनाज के मुफ्त वितरण की योजना मई 2021 में फिर से शुरू की गई और दिसंबर 2022 तक जारी रही। पीएमजीकेएवाई के तहत कुल 1118 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न आवंटित किया गया था, जिसमें इस उद्देश्य के लिए 390997 करोड़ का कुल वित्तीय परिव्यय शामिल था।

(ii) पीएम किसान योजना के तहत 2020-21 में लगभग 8.7 करोड़ किसानों को शामिल करते हुए उन्हें देय 2,000 रुपये की पहली किस्त का भुगतान अप्रैल 2020 में ही किया गया था।

(iii) पीएम जन धन योजना की कुल 20.40 करोड़ (लगभग) महिला खाताधारकों को तीन महीने के लिए प्रति माह 500 रुपये की अनुग्रह राशि दी गई।

(iv) दिनांक 01.04.2020 से 31.12.2020 तक प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को तीन मुफ्त एलपीजी रिफिल प्रदान किए गए।

(v) लगभग 3 करोड़ वृद्धों, विधवाओं और दिव्यांग श्रेणी के लोगों को 1000 रुपये की राशि प्रदान की गई।

(vi) 100 से कम श्रमिकों वाले व्यवसायों में प्रति माह 15,000 रुपये से कम कमाने वाले वेतनभोगियों को उनके पीएफ खातों में तीन माह तक मासिक मजदूरी का चौबीस प्रतिशत प्रदान किया गया था, ताकि उनके रोजगार में व्यवधान को रोका जा सके। इस योजना को अगले तीन महीने यानी अगस्त 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया था।

(2). पीएमजीकेपी के अंतर्गत घोषित स्कीमें संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा कार्यान्वित की गई थीं। पैकेज के तहत लाभ खंडवा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लाभार्थियों सहित प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के सभी पात्र लाभार्थियों को प्रदान किए गए थे।

(3). पीएमजीकेपी के अंतर्गत प्रदान किए गए लाभ, लाभार्थी और जहां भी लागू हो, किए गए व्यय का राज्य-वार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

*****

1807200/2024/PQ CELL

अनुबंध

दिनांक 18.12.2023 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न स. 2514 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में सदांभत विवरण

		पीएमजीएवाई (खाद्यान्न)		पीएमजीएवाई दलहन/चना		उज्जवला		पीएम किसान	पीएमजेडीवाई		ईपीएफ का 24%		एनएसएपी राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम	
सं.	राज्य	अप्रैल 2020 से 9.12.2020 तक कुल वितरण (मीट्रिक टन में)	30.11.2022 की स्थिति के अनुसार एनएफएसए के तहत कवर किए गए कुल व्यक्ति (लाख में)	दाल/चना गुणवत्ता (अप्रैल - नवंबर) (एमटी)	लाभप्रदियां	अग्रिम या प्रतिपूर्ति के लिए रिफिल संवितरण	अंतरित राशि (लाख में)	लाभार्थियों की संख्या	खातों में जमा	अंतरित राशि (लाख में)	लाभार्थी	राशि (रुपए लाख में)	कुल लाभार्थी	अंतरित राशि (लाख में)
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	7772	0.61	122	16,350	22,354	157.3	10,677	23,064	346.0	3,238.00	155.91	5,928	59.3
2	आंध्र प्रदेश	2645092	268.22	66,492	90,28,190	7,62,204	5163.2	46,95,820	60,13,565	90203.5	1,85,152.00	11,651.14	9,32,661	9326.6
3	अरुणाचल प्रदेश	102280	8.4	1,034	1,77,210	76,831	518.1	66,323	1,80,119	2701.8		0.00	34,139	341.4
4	असम	3142258	251.17	45,456	57,86,440	52,88,902	36257.4	18,61,715	95,34,385	143015.8	9,772.00	252.73	8,40,984	8409.8
5	बिहार	10582970	871.16	1,20,112	1,43,33,767	1,54,12,430	111170.7	58,99,824	2,33,15,732	349736.0	67,545.00	4,287.92	36,64,811	36648.1
6	चंडीगढ़	32348	2.76	486	63,670	246	1.6	429	1,10,537	1658.1	23,805.00	2,034.29	3,415	34.2
7	छत्तीसगढ़	2633887	200.77	39,632	51,49,800	42,22,762	32416.0	21,67,441	78,57,012	117855.2	84,417.00	6,404.33	8,52,275	8522.8
8	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	35216	2.73	519	65,240	25,694	169.2	13,531	70,204	1053.1		0.00	10,964	109.6
9	दिल्ली	930116	72.78	13,690	17,54,513	1,96,011	1262.8	12,075	20,30,271	30454.1	41,521.00	3,642.58	1,56,436	1564.4
10	गोवा	68310	5.32	1,066	1,42,550	2,119	14.3	7,854	69,987	1049.8	16,563.00	1,265.92	2,061	20.6
11	गुजरात	4418252	344.15	50,026	65,09,333	49,38,563	32592.2	46,85,062	71,08,005	106620.1	2,70,988.00	18,510.49	6,88,953	6889.5
12	हरियाणा	1555227	126.49	18,812	24,27,333	15,15,725	9902.1	15,14,497	34,16,299	51244.5	83,035.00	6,403.61	3,27,269	3272.7
13	हिमाचल प्रदेश	365604	28.64	4,790	6,73,667	2,92,437	1964.5	8,70,609	5,84,184	8762.8	48,762.00	3,629.35	1,11,863	1118.6
14	जम्मू और कश्मीर	863504	72.41	13,208	16,44,090	20,17,863	14573.5	9,20,451	10,49,256	15738.8	43,121.00	2,055.78	143289 (including Ladakh)	1432.9
15	झारखंड	3045538	264.12	44,593	57,11,600	53,78,043	37520.2	12,31,912	72,27,042	108405.6	1,05,631.00	7,666.54	12,88,850	12888.5
16	कर्नाटक	5153724	401.93	80,975	1,27,22,730	57,16,148	37831.3	48,39,093	79,87,088	119806.3	3,19,389.00	24,924.83	13,98,410	13984.1
17	केरल	1949831	154.8	27,956	35,91,483	5,11,674	3323.1	27,16,844	24,13,289	36199.3	1,21,319.00	9,250.22	6,88,329	6883.3
18	लद्दाख	17429	1.44	233	29,008	19,175	165.7	0	9,951	149.3	247.00	21.08	Included in J&K above	Included in J&K above
19	लक्षद्वीप	2726	0.22	39	5,200	521	3.5	0	2,867	43.0		0.00	324	3.2
20	मध्य प्रदेश	6276168	511.32	77,890	96,95,633	1,13,69,027	77377.9	68,12,020	1,66,22,091	249331.4	1,69,059.00	10,711.54	22,05,963	22059.6
21	महाराष्ट्र	8016574	700.17	1,03,643	1,32,15,103	76,29,148	50512.8	86,32,718	1,29,47,062	194205.9	4,76,836.00	31,528.87	11,68,385	11683.9
22	मणिपुर	255232	20.08	4,192	5,87,503	2,76,621	2119.6	2,83,457	5,04,169	7562.5		0.00	61,972	619.7
23	मेघालय	284255	21.46	3,145	4,21,503	2,01,679	1408.4	1,15,638	2,68,908	4033.6	73,342.00	2,224.82	54,127	541.3
24	मिजोरम	88922	6.68	1,243	1,55,405	55,281	419.7	69,425	58,176	872.6		0.00	27,538	275.4
25	नगालैंड	172087	14.05	2,276	2,84,940	90,537	592.6	1,81,008	1,57,792	2366.9		0.00	49,210	492.1
26	उड़ीसा	3994202	325.03	74,941	95,19,513	83,72,979	57172.5	20,03,185	81,21,020	121815.3	1,62,121.00	10,148.60	20,27,022	20270.2
27	पुदुचेरी	74020	6.34	1,273	1,78,500	31,184	202.6	9,715	83,926	1258.9	16,456.00	1,011.52	28,757	287.6
28	पंजाब	1730270	141.51	27,751	35,47,747	24,53,435	16350.8	17,52,498	33,22,186	49832.8	79,150.00	5,054.89	1,40,404	1404.0
29	राजस्थान	5337014	440.01	75,043	99,94,240	1,11,36,139	73857.8	51,64,391	1,56,13,962	234209.4	1,23,266.00	7,946.42	9,87,781	9877.8
30	सिक्किम	43496	3.79	614	93,817	21,313	165.3	0	42,552	638.3		0.00	18,332	183.3
31	तमिलनाडु	4087528	364.69	33,324	1,11,07,920	61,90,878	41390.2	35,59,533	60,75,989	91139.8	5,81,768.00	34,570.97	18,14,700	18147.0
32	तेलंगाना	2458216	191.62	15,804	52,68,030	18,75,380	13036.0	33,31,468	52,60,800	78912.0	1,78,225.00	10,233.62	6,65,956	6659.6
33	त्रिपुरा	324621	24.32	4,420	5,40,847	4,49,580	3746.8	1,90,441	4,31,770	6476.6		0.00	1,38,473	1384.7
34	उत्तर प्रदेश	17592310	1490.71	2,69,530	3,34,08,790	2,70,88,702	181728.1	1,76,75,849	3,18,13,530	477203.0	2,30,453.00	15,741.60	52,57,390	52573.9
35	उत्तराखंड	774732	61.94	10,736	13,44,657	7,63,126	5015.5	6,74,688	12,67,372	19010.6	41,863.00	3,234.58	2,15,109	2151.1
36	पश्चिम बंगाल	7856087	601.84	91,452	1,40,19,333	1,72,98,898	116938.4	0	1,89,95,377	284930.7	4,28,442.00	21,132.39	21,32,959	21329.6
	कुल	**96917817**	**8003.68**	**13,26,516**	**18,32,15,657**	**14,17,03,609**	**9,67,041**	**8,94,54,616**	**20,65,00,000**	**3097500.0**	**39,85,486.00**	**2,55,696.54**	**2,81,45,039**	**281450**

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2516

सोमवार, 18 दिसम्बर 2023/ 27 अग्रहायण, 1945 (शक)

न्यूनतम मजदूरी

2516. श्री नलीन कुमार कटील:
श्री डी.के.सुरेश:
श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दरें सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों पर समान रूप से लागू होती हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किए जाने के संबंध में कोई शिकायतें/अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों के दौरान प्राप्त शिकायतों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(घ) क्या सरकार ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए कोई स्वास्थ्य योजना कार्यान्वित की जा रही है अथवा सरकार के विचाराधीन है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों विशेष रूप से देश के आकांक्षी जिलों के कामगारों के कल्याण के लिए अन्य कौन-कौन से कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क): न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 में निजी क्षेत्र सहित अनुसूचित नियोजनों में मजदूरी की न्यूनतम दरें निर्धारित करने का उपबंध है। केन्द्र सरकार और राज्य सरकारें दोनों अपने-अपने क्षेत्राधिकार में अनुसूचित नियोजनों में न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने, समीक्षा करने और संशोधित करने के लिए समुचित सरकारें हैं और इस प्रकार निर्धारित मजदूरी की न्यूनतम दरें सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों पर समान रूप से लागू होती हैं।

जारी...2/-

(ख) से (घ): केन्द्र सरकार और राज्य सरकारें दोनों ही अपने-अपने क्षेत्राधिकारों में मजदूरी/न्यूनतम मजदूरी का भुगतान न किए जाने से संबंधित उपबंधों सहित न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के उपबंधों को लागू करने के लिए समुचित सरकारें हैं। केन्द्रीय क्षेत्र में सामान्यतः केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र (सीआईआरएम) के रूप में नामोदिष्ट मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) के निरीक्षण अधिकारियों के माध्यम से और राज्य क्षेत्र में राज्य प्रवर्तन तंत्र के निरीक्षण अधिकारियों के माध्यम से अधिनियम का प्रवर्तन सुनिश्चित किया जाता है। नामोदिष्ट निरीक्षण अधिकारी नियमित रूप से निरीक्षण करते हैं और न्यूनतम मजदूरी का भुगतान न किए जाने या कम भुगतान किए जाने के किसी भी मामले का पता चलने की स्थिति में नियोक्ताओं को मजदूरी के अंतर का भुगतान करने का निर्देश देते हैं। अनुपालन न किए जाने की स्थिति में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 22 के अंतर्गत निर्धारित दंडात्मक प्रावधानों का सहारा लिया जाता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय क्षेत्र में अनुसूचित नियोजनों में न्यूनतम मजदूरी के प्रवर्तन के संबंध में ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है। राज्य क्षेत्राधिकार में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के उपबंधों को लागू करने का ब्यौरा केंद्रीय रूप से नहीं रखा जाता है।

(ङ) और (च): सरकार असंगठित कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों सहित देश भर में असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम (यूडब्ल्यूएसएस), 2008 कार्यान्वित कर रही है, ताकि (i) जीवन एवं निःशक्तता कवर; (ii) स्वास्थ्य और मातृत्व लाभ; (iii) वृद्धावस्था संरक्षण; और (iv) केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किया जाने वाला अन्य किसी लाभ से संबंधित मामलों पर समुचित कल्याण योजनाएं बनाकर असंगठित कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जा सके।

अभिदाता द्वारा किए गए अंशदान के आधार पर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के माध्यम से जीवन और निःशक्तता कवर प्रदान किया जाता है। पीएमजेजेबीवाई 18 से 50 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों के लिए उपलब्ध है और यह 436/- रुपये के वार्षिक प्रीमियम पर किसी भी कारण से मृत्यु के मामले में 2.00 लाख रुपये का जोखिम कवरेज प्रदान करता है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) 18 से 70 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों के लिए उपलब्ध है, जिसमें दुर्घटना के कारण मृत्यु होने या पूर्ण स्थायी निःशक्तता के मामले में 2.00 लाख रुपये और आंशिक स्थायी निःशक्तता

जारी..3/-

के लिए 20 रुपये के वार्षिक प्रीमियम के भुगतान पर 1.00 लाख रुपये का जोखिम कवरेज प्रदान किया जाता है।

आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबीपीएमजेएवाई) द्वितीयक और तृतीयक देखभाल हेतु अस्पताल में भर्ती के लिए प्रति पात्र परिवार 5 लाख रुपये का वार्षिक स्वास्थ्य कवर प्रदान करती है।

असंगठित कामगारों को वृद्धावस्था सामाजिक सुरक्षा कवर प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने वर्ष 2019 में प्रधान मंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएम-एसवाईएम) पेंशन योजना शुरू की। इसमें 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर असंगठित कामगार को 3000/- रुपये की मासिक पेंशन का प्रावधान है। 18-40 वर्ष के आयु वर्ग के असंगठित कामगार जिनकी मासिक आय 15000/- रुपये या उससे कम है और जो ईपीएफओ/ईएसआईसी/एनपीएस (सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना) के सदस्य नहीं हैं, पीएम-एसवाईएम योजना में शामिल हो सकते हैं। इस योजना के तहत लाभार्थी द्वारा मासिक अंशदान का 50% देय होता और केंद्र सरकार द्वारा उतना ही अंशदान का भुगतान किया जाता है।

* *****

अनुबंध

न्यूनतम मजदूरी के संबंध में दिनांक 18.12.2023 को पूछे जाने वाले लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2516 के भाग (ख) से (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत किए गए निरीक्षणों, अभियोजनों और दोषसिद्धियों का ब्यौरा

वर्ष	किए गए निरीक्षणों की संख्या	पाई गई अनियमितताओं की संख्या	सुधार की गई अनियमितताओं की संख्या	शुरू किए गए अभियोजनों की संख्या	दोषसिद्धियों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2021-22	5022	35983	8726	492	167
2022-23	5636	37012	10294	1019	281
2023-24 (अक्टूबर, 2023 तक)	3064	14946	6964	393	155

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के तहत दावा के मामले

वर्ष	न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के तहत दर्ज किए गए दावे			
	दर्ज	निर्णित	अधिनिर्णित (रुपये)	लाभान्वित कामगारों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2021-22	5297	2102	17,77,22,490/-	7487
2022-23	3044	2981	32,80,07,597/-	14757
2023-24 (अक्टूबर, 2023 तक)	2137	1380	27,08,75,457.6/-	5317

****

1807200/2024/PQ CELL

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2522

सोमवार, 18 दिसम्बर, 2023 / 27 अग्रहायण, 1945 (शक)

चाय-बागान कामगारों हेतु सामाजिक सुरक्षा योजना

2522. श्री राजा अमरेश्वर नाईक:
श्री भोला सिंह:
डॉ. सुकांत मजूमदार:
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:
श्री विनोद कुमार सोनकर:
क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास ई.एस.आई. सहित देश में चाय-बागान कामगारों के लिए कोई सामाजिक सुरक्षा योजनाएं हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने उन बागान-मालिकों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की है जो भविष्य निधि के अपने हिस्से का भुगतान नहीं करते हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या चाय-बागान के कामगारों को निर्धारित न्यूनतम दैनिक मजदूरी नहीं मिल रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार की चाय-बागान कामगारों की मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को मुआवजा देने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार की देश में बागान-कामगारों के स्वास्थ्य और कल्याण की स्थिति में सुधार करने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) देश में चाय-बागान कामगारों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा क्या अन्य कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (च): चाय बागान कामगारों के लिए कल्याण उपाय, संबंधित राज्य सरकारों द्वारा बागान श्रम अधिनियम, 1951 के अनुरूप कार्यान्वित किए जाते हैं, जो चाय बागानों को चाय बागान कामगारों के लिए आवास, चिकित्सा और प्राथमिक शिक्षा, जल आपूर्ति, स्वच्छता आदि जैसी बुनियादी कल्याण सेवाएं और सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु अधिदेशित करता है।

बागान श्रम अधिनियम को अब व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं, श्रम संहिता 2020 और सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में समाहित कर लिया गया है। सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 में बागान मालिकों को अपने कामगारों को ईएसआईसी (कर्मचारी राज्य बीमा निगम) के सदस्य के रूप में नामांकित करने का विकल्प देने की परिकल्पना की गई है।

जारी..2/-

चाय उद्योग के कामगारों को उपदान, पेंशन, बोनस, प्रसूति प्रसुविधा, मजदूरी आदि जैसे सभी सामाजिक सुरक्षा विधानों द्वारा भी कवर किया जाता है। बागान कामगार कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अंतर्गत शामिल नहीं हैं।

इसके अलावा, सरकार चाय बोर्ड के माध्यम से चाय बागानों में चाय बागान कामगारों और उनके आश्रितों के लिए विभिन्न कल्याणकारी गतिविधियों को क्रियान्वित करती है।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अनुसार चाय बागान कामगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है।

बागान मालिकों द्वारा भविष्य निधि के हिस्से का भुगतान न किए जाने की स्थिति में कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

*****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 204

गुरूवार, 21 दिसम्बर, 2023/30 अग्रहायण, 1945 (शक)

विभिन्न क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर छंटनी

204. श्री के.आर.एन.राजेश कुमार:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी, सोशल मीडिया, एडटेक फर्मों और संबंधित क्षेत्रों की विभिन्न बहुराष्ट्रीय और भारतीय कंपनियों में बड़े पैमाने पर छंटनी किए जाने का संज्ञान लिया है;

(ख) यदि हां, तो इन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर हुई छंटनी के कारण अपनी नौकरी गंवाने वाले कामगारों की क्षेत्रवार संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने उन कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों का समाधान करने और उनका कल्याण सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार भविष्य में इस प्रकार बड़े पैमाने पर छंटनी को रोकने के लिए इस मामले में हस्तक्षेप करने का विचार रखती है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

श्रम और रोजगार मंत्री

(श्री भूपेन्द्र यादव)

(क) से (च): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*

*****

विभिन्न क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर छंटनी के संबंध में श्री के.आर.एन.राजेश कुमार द्वारा दिनांक 21.12.2023 को पूछे गए राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 204 के भाग (क) से (च) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क) से (च): औद्योगिक प्रतिष्ठानों में नियोजन और कामबंदी सहित छंटनी एक नियमित घटना है। औद्योगिक प्रतिष्ठानों में कामबंदी और छंटनी से संबंधित मामले औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (आईडी अधिनियम) के प्रावधानों द्वारा शासित होते हैं। आईडी अधिनियम के अनुसार, 100 या उससे अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाले प्रतिष्ठानों को कामबंदी या छंटनी करने से पहले समुचित सरकार की पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, कोई भी छंटनी और कामबंदी आईडी अधिनियम के उपबंधों के अनुसार नहीं की गई हो तो उसे अवैध माना जाता है। आईडी अधिनियम में कामबंदी और छंटनी किए गए कर्मकारों को मुआवजे के अधिकार का भी उपबंध है और इसमें छंटनी किए गए कर्मकारों को पुनः रोजगार देने का भी उपबंध है। अपने-अपने क्षेत्राधिकारों के आधार पर, केन्द्र और राज्य सरकारें अधिनियम के उपबंधों के अनुसार कर्मकारों की समस्याओं का समाधान करने और उनके हितों की रक्षा करने के लिए कार्रवाई करती हैं। उन प्रतिष्ठानों में, जो केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र (सीआईआरएम) को सौहार्दपूर्ण औद्योगिक संबंध बनाए रखने और कामगारों के हितों की रक्षा करने का कार्य सौंपा गया है, जिसमें कामबंदी और छंटनी से संबंधित मामले और उनकी रोकथाम शामिल है। सूचना प्रौद्योगिकी, सोशल मीडिया, एडु टेक फर्मों और संबंधित क्षेत्रों में बहु-राष्ट्रीय और भारतीय कंपनियों से संबंधित मामलों में क्षेत्राधिकार संबंधित राज्य सरकारों के पास है, जो संबंधित ब्यौरा का भी अनुरक्षण करती हैं।

*****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 2165

गुरूवार, 21 दिसंबर, 2023/30 अग्रहायण, 1945 (शक)

आत्मनिर्भर रोजगार योजना के तहत लाभार्थी

2165. श्री राकेश सिन्हा:
डा. अनिल सुखदेवराव बोंडे:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) आत्मनिर्भर रोजगार योजना के तहत लाभार्थियों का क्षेत्र-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार द्वारा इस योजना हेतु आवंटित बजट में से कितना व्यय किया गया है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (ख): आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई), नए रोजगारों के सृजन तथा कोविड-19 महामारी के दौरान समाप्त हुए रोजगारों के पुनः स्थापन हेतु नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, दिनांक 01 अक्तूबर, 2020 से प्रारंभ की गई थी। लाभार्थियों के पंजीकरण की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2022 थी। दिनांक 05.12.2023 तक, 1.52 लाख प्रतिष्ठानों के माध्यम से 60.49 लाख लाभार्थियों को 10,043.02 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई है। इस योजना के तहत राज्य-वार और क्षेत्र-वार लाभार्थी क्रमशः **अनुबंध-I और II** में हैं।

*****

अनुबंध-I

राज्य सभा के दिनांक 21.12.2023 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2165 के भाग (क) से (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

एबीआरवाई के तहत लाभार्थियों का राज्य-वार विवरण (दिनांक 05.12.2023 तक)

राज्य	लाभार्थी प्रतिष्ठानों की संख्या	लाभार्थी कर्मचारियों की संख्या
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	36	479
आंध्र प्रदेश	4044	166959
अरुणाचल प्रदेश	17	514
असम	669	19902
बिहार	1213	28551
चंडीगढ़	1584	64817
छत्तीसगढ़	2951	85101
दिल्ली	3146	227663
गोवा	542	20947
गुजरात	15578	644000
हरियाणा	7640	400551
हिमाचल प्रदेश	2164	83380
जम्मू और कश्मीर	891	19384
झारखंड	2248	62773
कर्नाटक	11007	486776
केरल	2732	96338
लद्दाख	17	190
मध्य प्रदेश	6257	205799
महाराष्ट्र	22447	978812
मणिपुर	57	1692
मेघालय	39	1224
मिजोरम	15	377
नागालैंड	17	234
ओडिशा	4195	89354
पंजाब	6550	171000
राजस्थान	11480	326553
सिक्किम	113	3766
तमिलनाडु	16760	817952
तेलंगाना	5392	283292
त्रिपुरा	150	5440
उत्तर प्रदेश	12413	433565
उत्तराखंड	2425	93500
पश्चिम बंगाल	7710	227625
सकल योग	**152499**	**6048510**

स्रोतः ईपीएफओ, एमओएलई

1807200/2024/PQ CELL

अनुबंध-II

राज्य सभा के दिनांक 21.12.2023 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2165 के भाग (क) से (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

एबीआरवाई के तहत लाभार्थियों का क्षेत्र-वार विवरण (दिनांक 05.12.2023 तक)

क्र.सं.	उद्योग	लाभार्थी प्रतिष्ठानों की संख्या	लाभार्थी कर्मचारियों की संख्या
1	सोडा वाटर	126	2801
2	अगरबत्ती	120	4718
3	कृषि फार्म	482	9496
4	अपरटाईट खान	1	4
5	आर्किटेक्ट्स	109	1665
6	एस्बेस्टोस	13	391
7	एस्बेस्टस सीमेंट शीट	24	1109
8	अभ्रक खान	7	56
9	अटार्नी	6	141
10	ऑटोमोबाइल सर्विसिंग	1865	50525
11	बॉल क्ले माइन्स	2	17
12	राष्ट्रीयकृत बैंकों के अलावा अन्य बैंक	228	7649
13	बैराइट्स खान	2	11
14	बॉक्साइट खान	3	58
15	बीड़ी निर्माण	250	19326
16	बीयर एमएफजी	19	640
17	बिस्किट बनाना	240	11957
18	बोन क्रशिंग	14	146
19	बॉटनिकल गार्डन्स	25	421
20	ब्रेड	159	6604
21	ईंटें	752	8447
22	ब्रश	26	488
23	भवन और निर्माण उद्योग	8475	223764
24	बटन	9	128
25	केल्साइट खान	3	89
26	गन्ने के खेत	4	68
27	कैंटीन	458	15474
28	इलायची के बागान	4	231
29	काजू	246	5746
30	मवेशी चारा उद्योग	107	8188
31	सीमेंट	182	3762
32	चार्टर्ड या पंजीकृत एकाउंटेंट	160	2184
33	चीन मिट्टी की खदान	4	58
34	क्रोमाइट खान	8	1020
35	सिगरेट	7	138
36	5 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले सिनेमा थिएटर	23	110
37	पूर्वावलोकन थिएटर सहित सिनेमा	71	727
38	कॉफी शोधन	8	180
39	कॉफी बागान	18	190
40	कॉयर	68	1278
41	कॉलेज	930	18102

42	जीवन बीमा, वार्षिकी आदि की पेशकश करने वाली कंपनियाँ।	48	5248
43	प्रदर्शन के लिए कंपनियां/सोसाइटियां संगठन/क्लब/मंडलियां	488	12107
44	हलवाई की दुकान	418	18445
45	कोरंडम खदानें	2	29
46	लागत - कार्य लेखाकार	43	795
47	कपास की कटाई	361	10100
48	मिट्टी के बरतन	82	1260
49	दाल मिल	103	1557
50	हीरे की कटाई	321	13124
51	हीरा खान	3	43
52	डायमंड सॉ मिल्स	8	82
53	आसवन – रैक्टीफाईंग ऑफ स्पिट्रस	63	1744
54	वितरण-फिल्म	21	305
55	डोलोमाइट खान	7	130
56	खाद्य तेल - वसा	350	7856
57	इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल या जनरल इंजीनियरिंग उत्पाद	9964	271237
58	इलेक्ट्रिक पोर्सिलेन इंसुलेटर	121	2103
59	बिजली (जी, टी, डी)	469	7807
60	निजी क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कंपनियां	211	6633
61	पन्ना खान	2	225
62	इंजीनियर्स – इंजीनियर ठेकेदार	11195	288312
63	निर्माण, मार्केटिंग सर्विसिंग, कंप्यूटर के उपयोग में लगे प्रतिष्ठान	2125	98823
64	निर्माण, रखरखाव, संचालन के लिए रेलवे में लगे प्रतिष्ठान	383	8629
65	सफाई, सफाई सेवाओं में लगे प्रतिष्ठान	2731	154243
66	कूरियर सेवाएं प्रदान करने में लगे प्रतिष्ठान	126	20501
67	विमान या एयरलाइंस प्रतिष्ठान	12	176
68	विशेषज्ञ सेवाएँ	38932	2155431
69	विस्फोटक	79	2658
70	फेल्डस्पार खदानें	5	118
71	फेरो क्रोम	18	1721
72	फेरो मैंगनीज	22	381
73	फिल्म प्रक्रिया-प्रयोगशालाएँ	17	250
74	फिल्म निर्माण संबंधी	22	983
75	फ़िल्म स्टूडियो	12	101
76	वित्तीय प्रतिष्ठान	863	150104
77	फायर वर्क्स	147	2095
78	फ़ायरक्ले खदानें	2	167
79	मछली प्रसंस्करण और मांसाहारी खाद्य संरक्षण	188	16657
80	फ्लेवराइट की खदानें	3	420
81	आटा मिल	313	5008
82	अग्रेषण अभिकरण	248	7959
83	फलों के बगीचे	13	420
84	फल - शाकाहारी संरक्षण	338	8906
85	गारमेंटस बनाना	2339	275523
86	गौर गोंद फ़ैक्टरियाँ	14	223
87	सामान्य बीमा	24	7288
88	काँच	241	7361
89	ग्ल और जिलेटिन कारखाने	6	56
90	सोने की खदानें	41	672

91	ग्रेफाइट खदानें	3	41
92	जिप्सम खदानें	6	44
93	भारी - बढ़िया रसायन	1905	54425
94	अस्पताल	4721	141504
95	होटल	2635	51188
96	बर्फ या आइसक्रीम	67	1372
97	इंडिगो	8	1518
98	आईएनडीएल. - पावर अल्कोहल	11	290
99	इंडोलियम	31	907
100	अंतर्देशीय जल परिवहन	24	613
101	लोहा और इस्पात	2229	60869
102	लौह अयस्क खदानें	26	778
103	लौह अयस्क छर्रे	41	1060
104	जूट	38	1948
105	जूट बेलना	10	178
106	कत्था बनाना	15	266
107	ज्ञान या प्रशिक्षण संस्थान	375	10548
108	कायनाइट खान	2	20
109	एलएसी/शैलैक	9	83
110	लॉंड्री - लॉंड्री सेवाएँ	48	1494
111	चर्म उत्पाद	846	52369
112	लिग्नाइट खान	4	202
113	चूना पत्थर की खदानें	35	681
114	लिनोलियम	1	19
115	लॉजिंग हाऊस, सेवा अपार्टमेंट, कॉन्डोमिनियम	164	7102
116	मैग्नेसाइट खान	7	198
117	मैंगनीज खान	7	65
118	मार्बल खान	25	429
119	माचिस	74	1173
120	मेडिकल चिकित्सक	506	11991
121	भोजनालय	32	548
122	अभ्रक खदानें	6	82
123	अभ्रक खदानें - अभ्रक उद्योग	24	793
124	दूध उत्पाद	496	12530
125	खनिज तेल शोधन	45	461
126	मिश्रित वृक्षारोपण	33	465
127	नगर परिषद/निगम	127	4404
128	मायरोबलन - वनस्पति टेनिंग	7	156
129	समाचार पत्र प्रतिष्ठान	102	1012
130	खाद्य तेल/वसा	67	1934
131	अलौह धातु और मिश्र धातु	382	19604
132	गेरू खान	9	705
133	अन्य	7932	211264
134	पेंट्स - वार्निश	294	11581
135	कागज़	280	7379
136	कागज उत्पादन	939	19307
137	काली मिर्च के पौधे	3	29
138	पेट्रोलियम / प्राकृतिक गैस उत्पादन	266	2576
139	पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस रिफाइनिंग	263	2667
140	पिकर	36	1174
141	प्लास्टिक उत्पाद	2299	79846

142	प्लाईवुड	534	12246
143	मुर्गी पालन	155	15865
144	मुद्रण	773	14820
145	निजी हवाई अड्डे और संयुक्त उद्यम हवाई अड्डे	1	13
146	लकड़ी का प्रसंस्करण एवं उपचार	67	1951
147	कार्बाटाइट खदानें	2	8
148	स्फटिक खदानें	10	3090
149	रेलवे बुकिंग एजेंसियां	3	17
150	रीफ्रैक्टरीज	111	4727
151	शोध संस्था	83	2791
152	रेस्टोरेंट	1501	42740
153	चावल मिल	1334	9484
154	सड़क मोटर परिवहन	1080	37981
155	रबर बागान	14	514
156	रबर उत्पाद	694	38373
157	नमक	51	620
158	सेनेटरी वेयर	134	3156
159	सॉ मिल्स	58	964
160	विद्यालय	4993	64132
161	वैज्ञानिक संस्थान	51	895
162	सिलिका (रेत) खान	16	194
163	सिलीमिनाईट खान	5	92
164	सोप स्टोन खदान	27	741
165	सोसायटी / क्लब / संघ	188	3782
166	सोसायटी क्लब या संघ	1108	21691
167	कॉटन वेस्ट की छंटाई / सफाई / टीजिंग	42	1760
168	स्टार्च	28	981
169	स्टेशनरी उत्पाद	102	2237
170	स्टीटाइट की खदानें	11	135
171	तम्बाकू का पौधारोपन या इसके पत्तों को फिर से सुखाना	2	24
172	स्टीवडोरिंग, लोडिंग-अनलोडिंग जहाज	77	4925
173	चिप्स बनाने वालों आदि के लिए पत्थर की खदान	99	1267
174	रूफ-फ्लोर स्लैब आदि के लिए पत्थर की खदान	107	1719
175	पत्थर के जार	15	356
176	स्टोनवेयर पाइप्स	45	570
177	पेट्रोल/प्राकृतिक गैस का भंडारण, परिवहन या वितरण	637	7225
178	चीनी	134	7522
179	चाय	121	4758
180	चाय बागान	60	2859
181	टेंट बनाना	25	574
182	कपड़ा	6516	468518
183	ड्रामेटिक प्रदर्शन वाले थिएटर	14	435
184	टाइल्स	196	3490
185	तंबाकू उद्योग	66	1524
186	व्यापार - वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	11526	424392
187	ट्रैवल एजेंसी	525	11328
188	विश्वविद्यालय	163	4520
189	विश्वविद्यालय, कॉलेज, स्कूल, आदि	2228	28666
190	वाइंडिंग थ्रेड यार्न रीलिंग	85	7144
191	लकड़ी संरक्षण संयंत्र	10	174

192	लकड़ी मसाला भट्टियाँ	9	3225
193	लकड़ी की कार्यशाला	334	10943
194	प्राणी उद्यान	12	337
	सकल योग	**152499**	**6048510**

स्रोतः ईपीएफओ, एमओएलई

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 2169

गुरूवार, 21 दिसंबर, 2023/30 अग्रहायण, 1945 (शक)

मध्य प्रदेश में आत्मनिर्भर भारत रोज़गार योजना के लाभार्थी

2169. डा. सुमेर सिंह सोलंकीः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) मध्य प्रदेश में आत्मनिर्भर भारत रोज़गार योजना से विगत तीन वर्षों में लाभान्वित लोगों की जिला-वार संख्या कितनी है; और

(ख) योजना के तहत अब तक प्राप्त उपलब्धियों तथा इन पर प्राप्त प्रतिक्रिया का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क) एवं (ख): आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई), नए रोजगारों के सृजन तथा कोविड-19 महामारी के दौरान समाप्त हुए रोजगारों के पुनः स्थापन हेतु नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, दिनांक 01 अक्तूबर, 2020 से प्रारंभ की गई थी। लाभार्थियों के पंजीकरण की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2022 थी। इस योजना के तहत दिनांक 31 मार्च, 2022 तक पंजीकृत लाभार्थियों को पंजीकरण की तारीख से 2 साल तक लाभ मिलता रहेगा। दिनांक 11.12.2023 तक देश में 1.52 लाख प्रतिष्ठानों के माध्यम से 60.49 लाख लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है।

इस योजना के तहत मध्य प्रदेश राज्य में पिछले तीन वर्षों के दौरान लाभार्थियों की जिला-वार संख्या **अनुबंध** में दी गई है।

*****

1807200/2024/PQ CELL

अनुबंध

राज्य सभा के दिनांक 21.12.2023 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2169 के भाग (क) एवं (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

दिनांक 11.12.2023 तक इस योजना के तहत मध्य प्रदेश राज्य में पिछले तीन वर्षों के दौरान वास्तविक लाभार्थियों की जिला-वार संख्या

जिला	2020	2021	2022	2023
	लाभार्थी कर्मचारियों की संख्या	लाभार्थी कर्मचारियों की संख्या	लाभार्थी कर्मचारियों की संख्या	लाभार्थी कर्मचारियों की संख्या
आगर मालवा	15	121	76	33
अलीराजपुर	29	62	44	21
अनूपपुर	4	185	153	88
अशोक नगर	17	89	134	94
बालाघाट	128	459	521	291
बड़वानी	42	221	172	83
बैतू	161	385	366	162
भिण्ड	191	716	345	162
भोपाल	6108	22130	16495	4685
बुरहानपुर	58	529	380	208
छतरपुर	125	445	302	63
छिंदवाड़ा	428	1421	1354	635
दमोह	64	195	231	90
दतिया	336	548	76	32
देवास	738	2631	1812	641
धार	6813	21974	11239	3137
डिंडौरी			6	5
गुना	538	1093	930	414
ग्वालियर	1827	6766	5067	1929
हरदा	20	298	296	184
होशंगाबाद	589	1541	1153	352
इंदौर	16744	65638	40839	13415
जबलपुर	1789	8877	7573	3067
झाबुआ	80	188	108	56
कटनी	478	1853	1663	750
खण्डवा (पूर्वी निमाड़)	289	1067	831	292
खरगौन (पश्चिम निमाड़)	530	2456	1904	855
मंडला	65	362	334	193
मंदसौर	377	1217	1139	642
मुरैना	54	557	577	298
नरसिंहपुर	48	180	168	95
नीमच	88	384	383	171
पन्ना	10	19	16	0
रायसेन	2568	8706	4995	1642
राजगढ़	297	823	710	269
रतलाम	627	2505	1496	501

1807200/2024/PQ CELL

रीवा	260	1111	829	272
सागर	747	2194	1920	636
सतना	617	2221	1810	661
सीहोर	1351	4108	2781	974
सिवनी	56	249	434	254
शहडोल	43	292	299	138
शाजापुर	147	621	438	178
श्योपुर	0	18	16	0
शिवपुरी	76	281	286	101
सीधी	50	214	243	123
सिंगरौली	289	2183	2011	1079
टीकमगढ़	132	609	478	191
उज्जैन	1089	3274	2586	1152
उमरिया	2	54	86	47
विदिशा	101	259	323	181
कुल योग	**47235**	**174329**	**118428**	**41542**

स्रोतः ईपीएफओ, एमओएलई